Kalindi College

कालिंदी महाविद्यालय

(NAAC Accredited 'A' Grade)

University Of Delhi

PROSPECTUS 2020-2021

प्रवेश अनुसूची

यू .जी. योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया

प्रक्रिया	दिनांक
पहली प्रवेश - सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 12 अक्टूबर (सोमवार) - शाम 5:00 बजे 14 अक्टूबर , 2020 (बुधवार)
पहली प्रवेश - सूची के लिए भुगतान की अंतिम तिथि	रात 11:59 बजे 16 अक्टूबर , 2020 (शुक्रवार)
दूसरी प्रवेश -सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 19 अक्टूबर ,(सोमवार) - शाम 5:00 बजे 21 अक्टूबर 2020 (बुधवार)
दूसरी प्रवेश - सूची के लिए भुगतान की अंतिम तिथि	रात 11:59 बजे 23 अक्टूबर 2020 (शुक्रवार)
तीसरी प्रवेश - सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 26 अक्टूबर (सोमवार) - शाम 5:00 बजे 28 अक्टूबर 2020 (बुधवार)
तीसरी प्रवेश - सूची के लिए भुगतान की अंतिम तिथि	रात 11:59 बजे 30 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
चौथी प्रवेश सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 2 नवम्बर (सोमवार) - शाम 5:00 बजे 4 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
चौथी प्रवेश सूची के लिए भुगतान की अंतिम तिथि	रात 11:59 बजे 6 नवम्बर 2020 (शुक्रवार

पांचवी प्रवेश सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 9 नवम्बर (सोमवार) शाम 5:00 बजे 11 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
पाँचवीं प्रवेश सूची के लिए भुगतान की अंतिम तिथि	रात 11:59 बजे 13 नवम्बर 2020 (शुक्रवार)
सत्र आरंभ	18 नवम्बर, 2020 (बुधवार)
विशेष प्रवेश सूची के लिए प्रवेश	सुबह 10:00 बजे 18 नवम्बर (बुधवार) शाम 5:00 बजे 20 नवम्बर, 2020 (शुक्रवार)
विशेष प्रवेश सूची के लिए भुगतान की अंतिम दिन	रात 11:59 बजे 22 नवंबर , 2020 (रविवार)

यदि रिक्त सीटें शेष रहती हैं तो आगे की प्रवेश सूची भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त सीटों की घोषणा की जा सकती है।

शैक्षणिक कैलेंडर

(2020 - 21)

प्रथम वर्ष

छमाही प्रणाली - 1	
नवागंतुक छात्रों के लिए कक्षाएं प्रारंभ	1.11.2020
परीक्षा अवकाश	1.3.2021 से 07.03.2021
परीक्षा का संचालन	08.03.2021 से 26.03.2021
छमाही अवकाश	27.03.2021 से 04.04.2021

छमाही प्रणाली - 2	
इवन सेमेस्टर के लिए कक्षाएं प्रारंभ	05.04.2021
परीक्षा अवकाश	01.08.2021 से 08.08.2021
परीक्षा का संचालन	09.08.2021 से 21.08.2021
छमाही अवकाश	22. 08.2021 से 29.08.2021

विषय सूची

क्र. सं.	सूची	पृष्ठ सं.
1	विषय सूची	1
2	ओरिएण्टेशन कार्यक्रम	2
3	प्राचार्या सन्देश	3
4	भविष्यदर्शी उद्देश्य	7
5	महाविद्यालय: एक झलक	9
6	महाविद्यालय परिसर में जीवन	11
7	तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (CBCS)	34
8	सीटों का आबंटन	39
9	प्रवेश निर्देश	40
10	शुल्क संरचना (2020-21)	89
11	परिणाम: एक नज़र में	100
12	महाविद्यालय के नियम व कानून	102
13	महाविद्यालय की समितियां	106
14	महाविद्यालय प्रशासन	108
15	कुछ झलकियाँ	110

ओरियंटेशन कार्यक्रम

महाविद्यालय प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए अपना शैक्षणिक सत्र शीघ्र ही आरंभ करेगा। कक्षाएं शुरू होने से एक दिन पहले नव प्रवेशित छात्रों को अपने माता पिता के साथ महाविद्यालय के पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और विभिन्न सेवाओं की एक झलक पाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से उन्हें बताया जाता है महाविद्यालय में 'क्या करना है' और 'क्या नहीं करना है'।अकादमिक कैलेंडर, आंतरिक मूल्यांकन,समितियों की गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम, और पाठ्येत्तर गतिविधियों,अनुशासन, रैगिंग विरोधी नियमों, शिक्षा-शुल्क में छूट, अल्पकालिक ऐड-ऑन पाठ्यक्रम, स्वच्छता जैसे मामलों को समझाया जाता है। यह छात्रों को नए और बड़े वातावरण में आराम से अनुकूलन करने की सुविधा प्रदान करता है जो उनके भविष्य के जीवन के लिए मजबूत नींव रखने में वाला है।

आभासी अभिविन्यास कार्यक्रम सामान्य के साथ-साथ विभागों की सूचना की जानकारी महाविद्यालय शीघ्र ही घोषित करेगा।कृपया आगे की अधुनातन जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट देखें।

प्राचार्या का संदेश

प्रिय छात्राओं,

मैं कालिंदी कॉलेज के पोर्टल में आपका स्वागत करती हूं। हमारे बीच उत्साही युवाओं का एक नए बैच का आगमन होना खुशी की बात है। कालिंदी का आदर्श वाक्य ज्ञानम् शीलम् धर्मश्चैव भूषणम्' मानव जीवन के तीन गुणों का बोध कराता है, ज्ञान, कर्तव्य और परायणता का भाव, जिसे हम अपने विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं। हमारी संस्था ने अपने अस्तित्व के 53 साल पूरे कर लिए हैं और यह यात्रा सभी हितधारकों -छात्राओंशिक्षकों और प्रशासन के समर्पित प्रयासों से संभव हुई है। मेरा मानना है कि यह सामंजस्यपूर्ण तालमेल ही हमें उस भविष्य में ले जाएगा जिसे हम बनाना चाहते हैं। मैं आपको महाविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं और अवसरों का बेहतर हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की टीम द्वारा कालिंदी कॉलेज को ष्एष् ग्रेड से सम्मानित किया गया, जो सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षाविदों, खेल और पाठ्योतर गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सभी के द्वारा ईमानदारी से किये गये प्रयासों का एक प्रतिबिंब है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क

)NIRF (इंडिया रैंकिंग 2020 में भारत के शीर्ष महाविद्यालयों में कालिंदी महाविद्यालय को 123वीं रैंक प्राप्त हुई है। मील के ये पत्थर सभी के ईमानदार प्रयासों और दृढ़ संकल्प के फल हैं। मुझे अपने महाविद्यालय की सभी छात्राओं पर गर्व है, और इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों के समर्पण की गहरी सराहना करती हूँ।

कालिंदी महाविद्यालय में हम छात्राओं को एक सकारात्मक और समृद्ध वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप सामाजिक रूप से जागरूक युवा महिलाओं और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पुष्पित-पल्लवित हों। योग्य तथा कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ सकारात्मक शिक्षा तथा अनुभव प्रदान करने में सहायता करते हैं और इसे प्राप्त कौशल उन्हें अकादमिक रूप से बेहतर करने और अपनी क्षमता अनुरूप लक्ष्य के अर्जन मदद करता है। हम अभिभावकों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनके समक्ष एक खुली नींद की पेशकश करते हैं। जिसमें अभिभावक महाविद्यालय द्वारा सेमेस्टरवार आयोजित होने वाली अभिभावक शिक्षक बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और अभिभावक शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते रहें।

मुझे इस प्रमुख संस्थान का हिस्सा बनने पर गर्व है। महाविद्यालय में 199 योग्य, शिक्षण संकाय तथा 86 कुशल गैर शैक्षणिक प्रशासनिक, तकनीकी, सहायक कर्मचारियों की एक टीम हमेशा अपनी संस्थागत जिम्मेदारियों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्यरत है। महाविद्यालय का उद्देश्य सभी छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बहुमुखी विकास करना है। सन् 1967 में सिर्फ 599 स्नातक छात्राओं के साथ शुरू हुआ इस महाविद्यालय के मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में 7400 से अधिक नियमित, नाॅन-कॉलेजिएट, एसओएल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राएं अध्ययनरत हैं। 5 ऐड-आॅन पाठ्यक्रम के साथ महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की संख्या अब 21 से 26 हो गई है।

इसके अलावा महाविद्यालय ने शिक्षा, शिक्षणेतर व खेल गतिविधियों के क्षेत्र में कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। हमारे महाविद्यालय में नियमित रूप से चयनित पेपरों में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली, 95 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त कर रहे और प्रत्येक उत्तीर्ण वर्ष के साथ छात्राएं ‘ओ’ और ‘ए’ ग्रेड़ प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होती रही है। हमारी खेल टीमों और एथलीटों ने एथलेटिक्स, कुश्ती, पावरलिफ्टिंग, बॉल

बैडमिंटन, फुटबॉल, ताइक्वांडो, किकबॉक्सिंग, जूडो, बॉक्सिंग आदि में विभिन्न खेलों में भाग लिया है और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और विश्वविद्यालय स्तरों पर कॉलेज के लिए कई पुरस्कार और पदक जीते हैं।

महाविद्यालय अपने छात्रों को उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। पिछले दस वर्षों में, हमने 31 प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं को पूरा करके अपने बुनियादी ढांचे को काफी हद तक बेहतर बनाया है। 80 कमरों और 240 बेड वाले महिला छात्रावास का निर्माण शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और वार्ता आयोजित करते हैं कि छात्राओं को अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ लगातार उनका ज्ञानवर्धन किया जा सके। हम अपने विद्यार्थियों को विशेष रूप से बनाए गए कोष के माध्यम से पर्यवेक्षित अनुसंधान के अवसर प्रदान करते हैं, ताकि उसमें आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण क्षमता का विकास हो और शोध में नए अवसर मिले।

हमारा दृष्टिकोण छात्र-केंद्रित है। हम अनुशासन को बढ़ाने पर जोर देते हैं और एंटी-रैगिंग, अनुशासन और उपस्थिति से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू करते हैं। हमारे यहाँ एक संवेदनशील आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ)इंटरनल कम्पलेंट सेल (है, जो विद्यार्थियों की जरूरतों का जिम्मेदारी से मदद करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और डॉ. बी.आर .अम्बेडकर अध्ययन केंद्र की सक्रियता सामाजिक न्याय और लैंगि समानता के प्रति हमारी जवादेही को सुनिश्चित करती है। हम सभी श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पुरस्कार प्रदान करते हैं| भारत में हाल ही में महामारी फैलने से काफी हद तक व्यवधान हुआ है। इसके बावजूद, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण समर्पण के साथ ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से किया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस साल प्रवेश प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है। यह संभव है कि सेमेस्टर की शुरुआत में, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की पेशकश की जाएगी। मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर छात्राएँ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सीखने की इस विधा का पालन करें तो वे उनके शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों की सहायता के माध्यम से इसे सहज महसूस करेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करने में सक्षम होंगे।

हम अपनी छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा और हित को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए हमने पहले ही कुछ उपायों की योजना बना ली है जब भी कक्षा शिक्षण अंततः शुरू होता है छात्राओं को अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें कॉलेज परिसर के आसपास के सूचना पटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। कॉलेज एक सैनिटाइज़र की खरीद की प्रक्रिया में है और यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षाओं, लाइब्रेरी, बैंक और शौचालय सहित सभी स्थानों को स्वच्छ रखा जाए। प्रवेश द्वार पर प्रवेश से पहले छात्राओं के तापमान की जाँच की जाएगी। द्वारपाल को एक विशेष चेहरा रक्षक प्रदान किया जाएगा। हम छात्राओं के उपयोग के लिए मास्क और दस्तानों का भी प्रबंध करेंगें और साथ ही साथ ढक्कनयुक्त कूड़ेदान की भी व्यवस्था की जाएगी, जिनका वे सही तरीके से निपटान कर सकते हैं।इसके अलावा, 1 मी की दूरी पर कक्षाओं में डेस्क की व्यवस्था करके, और छात्राओं को एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन पर 1 मी की दूरी पर घेरा बनाकर कॉलेज के परिसर के भीतर सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।

प्रगति के प्रति अपने अथक प्रयासों को जारी रखते हुए, मैं दृढ़निश्चयी हूं कि कॉलेज अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आपको मेरा संदेश है :"अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने भविष्य को शानदार और उज्ज्वल बनाओ, कभी भी किसी चुनौती को ना मत कहो। प्रतिबद्धता और निर्भीकता के साथ इसका सामना करो। परिस्थितियों को अपने सपनों को प्रतिबंधित करने की अनुमति न दें !ज्ञान खुला है, इसलिए हर तरह से इसका अभिवादन करें और जीत का अनुसरण करें।

मैं निर्भीक व्यक्तित्व और चेतन मन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आप खुद के प्रति सच्चे रहें, अपने सपनों को पूरा करें और ऊंची उड़ान भरें।

कार्यवाहक प्राचार्या

डॉ अंजुला बंसल

भविष्यदर्शी उद्देश्य

पिछले कुछ वर्षों में, कालिंदी कॉलेज सभी तिमाहियों से प्रशंसा और प्रशंसा बटोर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और विश्वविद्यालय और अन्य नोडल एजेंसियों आदि से सम्मान शामिल हैं। यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा भारत में कॉलेजों के बीच 123 वें स्थान पर है। एनआईआरएफ) इंडिया रैंकिंग 2020. ये उपलब्धियां सभी हितधारकों के अथक प्रयासों के कारण हैं, जिन्होंने छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा और जागरूकता लाने के लिए उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए सद्भाव में काम किया है।

कॉलेज पटेल नगर में 8.25 एकड़ के परिसर में स्थित है। प्रशासन ने कॉलेज को सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के विकास को प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक, एम्फीथिएटर, नए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, छात्रों के सुविधाओं के ब्लॉक और स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेंटर, जिमनासिया, शिक्षकों के साइबर सेंटर, अतिरिक्त सुरक्षा द्वार, अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए तैयार किया गया है। साइंस ब्लॉक, पार्किंग क्षेत्र, अगस्त क्रांति पार्क, सरस्वती पार्क, बुद्ध पार्क, बटरफ्लाई पार्क, हर्बल गार्डन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ-साथ प्रशासनिक ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक और टेमी पार्क के नवीकरण, आरओ वाटर प्यूरीफाइंग सिस्टम, अग्निशामक और सेनेटरी की स्थापना नैपकिन डिस्पेंसर, और प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण। कुल मिलाकर, 31 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य पाइपलाइन में हैं। हमारे गतिशील शासी निकाय के गहरे हित और समर्थन के साथ, हमें उम्मीद है कि हमारी आगामी योजना गर्ल्स हॉस्टल को पूरा करने, ऑडिटोरियम, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी संग्रहालय का नवीनीकरण करने और बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण जल्द ही पूरा होगा।

21 मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा, कॉलेज विदेशी भाषाओं में 5 समकालीन अल्पकालिक ऐड-ऑन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है: फ्रेंच और चीनी, यात्रा और पर्यटन, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, और कौशल विकास जिसमें छात्र सीखने के लिए दाखिला लेते हैं और अपने कौशल को सुधारने। 199 अच्छी तरह से योग्य, प्रतिष्ठित शिक्षण संकाय की एक टीम के साथ, जो संस्थागत जिम्मेदारियों और एक 86 सदस्य कुशल और सहकारी प्रशासनिक / तकनीकी / सहायक कर्मचारियों के अलावा शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, कॉलेज का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा और चौतरफा प्रदान करना है। नियमित कॉलेज में भाग लेने वालों और गैर कॉलेजिएट महिला

शिक्षा बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेंटर के तहत दाखिला लेने वालों सहित इसके 7,400 से अधिक छात्रों को विकास।

अनुसंधान और छात्र परामर्श कॉलेज में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्र हैं। छात्रों को अपने कक्षा में और साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई बातचीत और सलाह के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक कौशल का अध्ययन करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन परियोजनाओं को एक जिज्ञासु दिमाग को बढ़ावा देने के साथ-साथ बुनियादी पाठ्यक्रम से स्वतंत्र सामाजिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में काम करने के लिए लिया जाता है।

कक्षा शिक्षण और शैक्षणिक अभ्यास शिक्षकों के काम का मूल है। पाठ्यक्रम योजनाओं के माध्यम से, पाठ्यक्रम पूरा करने की रिपोर्ट, एक सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। प्रख्यात विद्वानों की विशेषता वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार और कार्यशालाएं कक्षा की व्यस्तता को पूरा करती हैं। एक अच्छी तरह से स्टॉक किए गए चिकित्सा कक्ष और एक नर्स और एक डॉक्टर की सेवाओं के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक सहायता भी काउंसलर के माध्यम से छात्रों को प्रदान की जाती है। शिक्षक छात्रों के करियर और जीवन कौशल के विकास में मदद करने के लिए व्यक्तिगत और शैक्षणिक मामलों में भी छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं।

अपने समर्पित कर्मचारियों और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कॉलेज अपने छात्रों और समाज की अच्छी सेवा करता है। यह अपने छात्रों की लगातार बदलती जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहने और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कई परियोजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। 240 बेड वाले 80 कमरों वाले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। अतिरिक्त परियोजनाएं जो मंजूर की गई हैं और जल्द ही शुरू होंगी, संगमपरिसर का नवीनीकरण, कैंपस का विद्युतीकरण, पुस्तकालय का विस्तार और सीवर प्रणाली में सुधार। 8 और नई परियोजनाएँ हैं, जो निकट भविष्य में विज्ञान ब्लॉक के विस्तार, अकादमिक ब्लॉक के विस्तार, खेल मैदान के विकास, लिफ्ट के प्रावधान, 40 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, प्रवेश के सौंदर्यीकरण सहित किए जाएंगे। कॉलेज के लिए गेट और सेंट्रलाइज्ड पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम।

महाविद्यालय :एक झलक

- विशाल, हवादार कक्षाएं।
- एल.सी.डी .प्रोजेक्टर के साथ 25 कक्षाएं।
- शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक)12 नई कक्षाएं(
- पूरी तरह सुसज्जित आधुनिक प्रयोगशालाएं।
- वनस्पति विज्ञान और जीवन विज्ञान के अलग-अलग संग्रहालय।
- श्रव्य दृश्य शिक्षण के साथ कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशालाएं!
- मल्टीमीडिया पत्रकारिता स्टूडियो
- उत्पादन नियंत्रण कक्ष
- अच्छी तरह से स्टॉक पुस्तकालय
- सेमिनार रूम)प्रशासनिक ब्लॉक(
- बी .वॉक के लिए नया कंप्यूटर लैब
- समिति कक्ष)प्रशासनिक ब्लॉक(
- सम्मेलन कक्ष)ज्त्प् ब्लॉक(
- ट्यूटोरियल क्यूविकल्स)अकादमिक ब्लॉक(
- सभागार)संगम परिषद -विस्तार की प्रक्रिया के तहत(
- छात्र -साबर केन्द्र
- अध्यापक/अध्यापिका -साइबर केन्द्र
- गार्डन :थीम पार्क, सरस्वती पार्क, हर्बल गार्डन, अगस्त क्रांति पार्क, बुद्धा पार्क
- कन्वेंशन सेंटर और छात्रों की सुविधा ब्लॉक
- लड़कियों के छात्रावास)निर्माण -240 बेड(
- ज़िम
- बहु सुविधा -खेल उपयोगिता केन्द्र
- नया स्टॉक रूम)कक्ष(
- भूगोल के लिए प्रयोगशाला
- गणित के लिए नई प्रयोगशाला
- IQAC कक्ष

कॉलेज सहायता सेवाएँ

- वाई फाई – सक्षम परिसर
- बिजली का बैक-अप
- सीसीटीवी निगरानी के साथ परिसर सुरक्षा

- अग्निशमक
- बैंक
- फोटोकॉपी)फोटोकॉपी की सुविधा(
- ठंडे पानी की मशीन और आर.ओ .की सुविधा
- काफी हाउस
- मदर डेयरी
- नेस्कैफे
- पेपर रीसाइक्लिंग मशीन
- लाइब्रेरी में उपलब्ध स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ई-टेक्स्ट एक्सेस
- विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार परीक्षा लेखन सुविधा
- चिकित्सा सह परामर्श कक्ष
- चिकित्सा सुविधाएं -चिकित्सक परिसर में दौरा)सोमवार, बुधवार, शुक्रवार(
- परामर्शदाता)मंगलवार, गुरुवार और शनिवार(
- नर्स सुविधा (प्रात :9 बजे से सायं 5 बजे तक)
- शिक्षकों द्वारा छात्र सलाह
- सौर पेनल्स
- जेनसेट
- छात्रों के साइबर केन्द्र
- समान अवसर सेल
- सुलभ प्रारूप में पठन सामग्री)ऑडियो, ब्रेल, ई-टेक्स्ट(
- सौर बिजली जनरेटर
- ई-संसाधनों के लिए दुरस्थ लॉगिन का उपयोग ;छ.सपेजद्ध
- अलग-अलग एबल्ड के लिए बैरियर फ्री एक्सेस
- व्हीलचेयर की उपलब्धता

महाविद्यालय परिसर में जीवन

एन.सी. डब्ल्यू. ई. बी.

शिक्षक प्रभारी डॉ. निवेदिता गिरि

कालिंदी महाविद्यालय केंद्र (NCWEB) गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB), दिल्ली विश्वविद्यालय के 26 अध्ययन केंद्रों में से सबसे पुराना है। यह केंद्र एन.सी. डब्ल्यू. ई. बी. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एकअर्द्ध-नियमित मोड पर प्रदान किए गए नियमों और विनियमों के तहतकार्य करताहै। केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाली छात्राएँ ही छात्रों के रूप में दाखिला ले सकती हैं। एन.सी.डब्ल्यू. ई.बी. में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई कट-ऑफ सूची को घोषित करने के बाद ही मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कालिंदी महाविद्यालय केंद्र के द्वारा प्रातः 9:00 बजे से 4:00 बजे तक तैयार की गई समय सारणी के अनुसार अगस्त से अप्रैल तक प्रत्येक रविवार हो शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। छात्रों से नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद की जाती है क्योंकि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में न्यूनतम 66% उपस्थिति अनिवार्य है जो नियमित कॉलेजों के छात्रों के साथ आयोजित की जाती है। छात्रों को समय-समय पर विभिन्न सूचनाओं के लिए केंद्र के नोटिस को देखने की उम्मीद की जाती है। केंद्र स्नातक के सभी छात्रों के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। यह है कार्यशाला, संगोष्ठियों, व्याख्यान पाठ्येत्तर क्रिया कलापों का आयोजन कर के छात्रों के समग्र विकास की जिम्मेदारी भी लेता है।

प्रधान कार्यालय

गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड

ट्यूटोरियल बिल्डिंग, दूसरी मंजिल

गुरु तेग बहादुर रोड

यूनिवर्सिटी एनक्लेव

नई दिल्ली, दिल्ली 110007

कार्यालय संपर्क सूत्र 011-27667640

http://ncweb.du.ac.in

उपलब्ध पाठ्यक्रम:-

बी.ए.(प्रोग्राम)

1 वर्ष में कुल 50 शिक्षण दिवस, 312 सीटें, प्रथम वर्ष में प्रवेश शिक्षा शुल्क (फीस) रुपये 3365/-

बी.कॉम. (प्रोग्राम)1 वर्ष में 42 शिक्षक दिवस प्रथम वर्ष में प्रवेश शिक्षा शुल्क(फीस) रुपये 3465/-है।

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग

समन्वयक डॉ. मीना चरान्दा

कामकाजी महिलाओं के अपने संदर्भित कार्यक्षेत्र में सक्षमता और उनके सशक्तिकरण के लिए एक नव्य केंद्र के तौर पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एक केंद्र के रूप में कालिंदी कॉलेज में शुरुआत हुई। इस अनोखे केंद्र की शुरुआत अकादमिक वर्ष 2012-13 में हुए और वर्तमान समय में 2500 से अधिक छात्राएँ इसका लाभ उठा रही हैं। कालिंदी केंद्र विद्यार्थियों को बी.ए).प्रोग्राम (I,II,III वर्ष का पाठ्यक्रम आयोजित करवाता है। सितंबर 2019 तक श्री अमित गुप्ता,प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाहक के रूप में एसओएल देखरेख करते थे उसके बाद कालिंदी महाविद्यालय का एसओएल केंद्र राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ .मीना चरान्दा के सफलता पूर्वक मार्गदर्शन में चल रहा है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक एसओएल के कार्यों का विकेंद्रीकरण जैसे संकाय सदस्यों ,समय-सारणी आदि की व्यवस्था का प्रबंध महाविद्यालय ने अपने स्तर पर किया। लेकिन वर्ष 2019-20 में एसओएल द्वारा ही संकाय सदस्यों और समय-सारणी का प्रबंध किया जा रहा है।एसओएल छात्रों के लिए कक्षाएँ रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर आयोजित कार्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती हैं।केंद्र रविवार और छुट्टियों के दौरान शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है और सत्र के अंत में परीक्षा आयोजित करता है केंद्र

ने सैकड़ों महिलाओं को उच्च शिक्षा के उनके सपने को साकार करने में मदद की है और भविष्य में भी अपना यह प्रयास जारी रखेगा।

अतिरिक्त सहायक कक्षाएँ

समन्वयक : डॉ. संगीता ढल / डॉ.मीना चरान्दा

कालिंदी महाविद्यालय लगातार अपने छात्रों को हर तरह की मदद और सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। महाविद्यालय में उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया गया है। कालिंदी महाविद्यालय के परिसर में शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय रोजगार-परामर्श, प्लेसमेंट व अन्य पेशेवर मदद की सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहता है इच्छुक विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाकर जीवन में व्यावसायिक रूप में स्थापित हो सकते हैं।

फरवरी 2012 में महाविद्यालय ने यूजीसी की 11वीं विलय योजना के अंतर्गत अपने पंजीकृत एससी/ एसटी /ओबीसी (क्रीमी लेयर को छोड़कर) और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायक कक्षाएँ शुरू की गईं। इस पृष्ठभूमि के उत्साही छात्रों ने इन कक्षाओं में सीखने में गहरी रुचि दिखाई और अपनी संबंधित क्षेत्रों के पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग का लाभ उठाया। शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012 -13 और 2013 14 में इन वर्गों के लगभग 200 छात्र इन कक्षाओं से लाभान्वित हुए ।कोचिंग कक्षाओं के अलावा साथ इन छात्रों को अध्ययन सामग्री जैसे कि किताबें/ कंप्यूटर सुविधाएँ,समाचार पत्र, प्रतिस्पर्धी पत्रिकाओं और ऑनलाइन संसाधन सामग्री आदि प्रदान की जाती है।महाविद्यालय के संकाय सदस्य और बाहर से कुछ विशेषज्ञ जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है समन्वयक और प्रशिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। संसाधन व्यक्तियों का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में सुधार करना था जिनमें छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जिससे कि छात्र विविध परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें। आवधिक परीक्षण समीक्षा और मूल्यांकन रिपोर्ट संसाधन व्यक्तियों के द्वारा तैयार किए गए थे जिसके पश्चात् विद्यार्थियों को उनकी कमियों व कमजोरियों के बारे में अवगत कराया गया था। हालांकि अनुदान की कमी के कारण महाविद्यालय को दुर्भाग्यवश अतिरिक्त सहायक कक्षाएँ बंद करनी पड़ीं। महाविद्यालय में

अतिरिक्त सहायक कक्षाओं की बढ़ती मांग के मद्देनजर यूजीसी को छात्रों के लाभ के लिए योजना जारी रखने व धनराशि जारी करने के अनुरोध के साथ एक पत्र भेजा गया है।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

डॉ. पुष्पा बिंदल- पीठासीन अधिकारी

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के प्रावधान विश्वविद्यालय अध्यादेश XV- को तत्काल प्रभाव में लाते हैं। अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक अधिनियम है।

यदि वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति को तो कोई भी पीड़ित महिला,लिखित रूप में , कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न के शिकायत कर सकती है। अगर स्थानीय समिति का गठन नहीं किया जाता है घटना की तारीख के3 महीने की अवधि के भीतर और मामले में घटनाओं की श्रृंखला, अंतिम घटना की तारीख के 3 महीने की अवधि के भीतर अपनी शिकायत कर सकती है।

नोट: पूर्ण अधिनियम के लिए कृपया महाविद्यालय की वेबसाइट देखें।

एंटी रैगिंग कमेटी

संयोजक डॉ. सुधा गुलाटी

कालिंदी महाविद्यालय ने महाविद्यालय परिसर के अंदर रैगिंग को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान सभी नवागंतुक छात्रों को रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त सजा के बारे में विस्तार से बताया जाता है। नवागंतुक छात्रों को महाविद्यालय में किसी भी रैगिंग गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी

के सदस्यों के संपर्क सूत्र और ई-मेल के बारे में भी बताया जाता है महाविद्यालय में किसी भी रैगिंग गतिविधि की रिपोर्ट कमेटी के सदस्यों को की जा सके। एंटी रैगिंग कमेटी महाविद्यालय परिसर में रैगिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शिक्षकों की विभिन्न समितियों का गठन करती है।

उपस्थिति समिति

संयोजक डॉ. पूनम त्यागी

महाविद्यालय की उपस्थिति समिति में तीनों धाराओं कला, वाणिज्य और विज्ञान के संकाय सदस्य शामिल हैं।यह समिति नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है और छात्रों की उपस्थिति के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अध्यादेश हो और दिशानिर्देशों को बनाए रखने के लिए और समय पर कदम उठाने के लिए प्रशासनिक कार्यालय से बातचीत करती रहती है।

पूर्व छात्र समिति

संयोजक डॉ. सीमा गुप्ता

महाविद्यालय में एक बहुत ही सक्रिय पूर्व छात्र समिति है। यह एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से छात्रों के साथ संपर्क में रहती है। प्रत्येक विभाग के शिक्षक-प्रभारी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम पासिंग आउट बैच (तृतीय वर्ष) के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बेस्ट प्रतिनिधि पूर्व छात्रों और महाविद्यालय के बीच एक कड़ी बनाए रखते हैं।

पूर्व छात्र संघ के सहयोग से पूर्व छात्र समिति, पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। यह अपने अनुभवों और सीखने को साझा करने के लिए महाविद्यालय के प्रख्यात् पूर्व छात्रों को आमंत्रित करता है। यह छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें बाहरी परिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करता है।

छात्र संघ संयोजक : डॉ. मीना चरान्दा

सह संयोजक डॉ. शानूजा बेरी

.छात्र संघ एक सक्रिय निकाय है जिसे सालाना नियुक्त किया जाता है जो मुख्य रूप से महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए संस्थान के मुख्य प्रदर्शन और कल्याण में शामिल होता है। यह सभी छात्रों को अपने नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने और विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। छात्र संघ कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें ओरियंटेशन प्रोग्राम,डीटी फ्रेश फेस ऑन कैंपस , शपथ समारोह और नवागंतुक छात्राओं का स्वागत समारोह, दिवाली मेला वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव- लहरें,वार्षिक दिवस, विदाई आदि आपसे संपर्क लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और छात्रों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में उनकी मूल भूमिका सफलतापूर्वक निभाई जा रही है।

विभिन्न सांस्कृतिक क्लबों की गतिविधियाँ

छात्र संघ संबंधित सलाहकारों के मार्गदर्शन में महाविद्यालय में कई सांस्कृतिक क्लब चलाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी का उद्देश्य उनके व्यक्तिगत कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक क्लब गतिविधियों के लिए हर सप्ताह एक घंटा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक छात्र कम से कम 1 क्लब में शामिल होता है जो कि अनिवार्य है। सभी शिक्षक इन क्लबों के सफल कामकाज में शामिल होते हैं।

निम्नलिखित सांस्कृतिक क्लब क्रियाशील हैं-

क्रम संख्या	**सांस्कृतिक क्लब**	**कार्यक्रम संयोजक**
1.	वाद- विवाद समिति वागार्	अंग्रेजी वाद- विवाद हिंदी वाद-विवाद
2.	प्रश्नोत्तरी समिति	प्रश्नोत्तरी

	ब्रेन ट्विस्टर	
3.	नाट्य समिति फितूर एकांकी नाटक फितूर नुक्कड़ नाटक रक्स	
4.	संगीत समिति मौसिकी	सुगम संगीत(सारेगा) अन्ताक्षरी
5.	नृत्य समिति नूपुर	एकल नृत्य भारतीय व पाश्चात्य समूह नृत्य लोक नृत्य व पाश्चात्य
6.	सृजनात्मक निपुणता समिति सृजन संस्कृत तरंगिनी कथा कहानी ऑफ म्यूज़ एंड बाईस काव्य सृष्टि	एड मैग शो टिकल यूअर फनी बोन प्रेजेंटेशन डमशराड्स जस्ट ए मिनट एक्स टेंपो राइटिंग (अंग्रेजी) सृजनात्मक लेखन (अंग्रेजी) सृजनात्मक लेखन (हिंदी) काव्य लेखन (अंग्रेजी) काव्य लेखन (हिंदी)
7.	ललित कला समिति	कोलाज मेकिंग फेस पेंटिंग एंड टैटू मेकिंग ज्वेलरी डिजाइन मेहंदी डिजाइन डिजाइन

		पोस्टर मेकिंग रंगोली निर्माण
8.	फैशन सोसाइटी : फैशनिस्टा	फैशन शो
9.	फिटनेस क्लब	एरोबिक और योग
10.	छायाचित्र(फोटोग्राफी) तथा चलचित्र(फिल्म) समिति : एनकॉर	
11.	कॉलेज बैंड	

अंतर महाविद्यालयी सांस्कृतिक उत्सव- लहरें

संयोजक डॉ. राखी चौहान

कालिंदी महाविद्यालय का वार्षिक अंतर महाविद्यालयी सांस्कृतिक उत्सव एक बहुत प्रसिद्ध व सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों की विशाल भागीदारी रहती है। महाविद्यालय परिसर में 25 से अधिक थीम आधारित प्रतिस्पर्धी , शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो हर साल बड़े कॉरपोरेट ब्रांडों द्वारा प्रायोजित होते हैं। प्रसिद्ध संगीत बैंडों द्वारा शानदार प्रदर्शन के साथ यह 2 दिन का कार्यक्रम अपने उच्चतम बिंदु के साथ समाप्त होता है और अगले वर्ष की प्रतीक्षा के लिए सुनिश्चित करता है।

सम्पूर्ण विद्या

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

अध्यक्ष -डॉ. अंजुला बंसल

मुख्य समिति (कोर समिति)

समन्वयक - डॉ. राखी चौहान,

वरिष्ठ सलाहकार- डॉ. रुचि त्यागी

सह समन्वयक - डॉ. दिव्या वर्मा, डॉ.वर्षा सिंह

सदस्य -डॉ. सीमा सहदेव, डॉ. रीनी पुंडीर, डॉ. निधि कपूर, डॉ. वंदना के. रानी

यद्यपि गुणवत्ता वृद्धि सतत प्रक्रिया है, इसलिए कालिंदी कॉलेज में आइ.क्यू.ए.सी. संस्थागत प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है । इस प्रकार गुणवत्ता वृद्धि और आजीविका के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में आइ.क्यू.ए.सी. कार्य करता है । आइ.क्यू.ए.सी .का मुख्य कार्य संस्था के समग्र निष्पादन में सचेष्ट, सुसंगत और उत्प्रेरणात्मक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। इसके लिए यह संस्था सभी प्रयासों और उपायों को संबद्धकर संपूर्ण शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। आइ.क्यू.ए.सी. निष्पादन मूल्यांकन और गुणवत्ता संवृद्धि के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है । इसके निम्नलिखित कार्य हैं -

A महाविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता निर्धारक/मापदंड को विकसित और उस पर अमल करना।

B उत्कृष्ट शिक्षण हेतु विद्यार्थी केंद्रित वातावरण निर्मित करने की सुविधा तथा सहभागी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया के तहत संकाय परिपक्वता हेतु आवश्यक जानकारी और प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना।

C गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रियाओं पर छात्राओं, माता- पिता तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों की प्रतिपुष्टि जानने की व्यवस्था।

D उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणवत्तापूर्ण मापदंडों की जानकारी का प्रसार।

E संस्थागत तथा अंतरसंस्थागत कार्यशालाओं का आयोजन, गुणवत्ता आधारित विषयों पर संगोष्ठियों, गुणवत्ता संवर्धन के दायरे को और भी बढ़ाते जाना।

F कॉलेज के विभिन्न कार्यकर्मों/गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करना, जो गुणवत्ता वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

G गुणवत्ता से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वयन करना, उत्कृष्ट कार्यों की उपलब्धि और उनके संवर्द्धन हेतु आई.क्यू .ए. सी. केंद्रक अभिकरण का कार्य करता है।

H संस्थागत कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने/ बढ़ाने के उद्देश्य से एम. आई .एस. द्वारा डेटाबेस तैयार करना और देखरेख करना ।

I संस्था में उत्तम संस्कृति का विकास।

J नैक के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (आई .क्यू .ए .आर.) तैयार करना।

आई .क्यू .ए .सी . निम्नलिखित कार्यों में भी सहयोग करता है -

A गतिविधियों में सुस्पष्टता के स्तर को सुनिश्चित करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

B गुणवत्तायुक्त संस्कृति को आत्मसात करना।

B स्था की विभिन्न गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करता है।

C संस्थागत कार्यों को और अच्छा बनाने के लिए निर्णयात्मक ठोस आधार प्रदान करता है ।

D एच. ई. आई. एस. की विशेषता परिवर्तन में गत्यात्मक प्रणाली के रूप में कार्य ।

E प्रलेखन और आंतरिक संचार के लिए एक संगठिक पद्धति का निर्माण।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

कार्यक्रम अधिकारी - डॉ. अलका चतुर्वेदी

राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। एन.एस.एस. का मुख्य उद्देश्य अनुभव के आधार पर छात्रों में सामुदायिक सेवा प्रदान करता है। यह छात्रों को सरकारी नेतृत्व वाली सेवाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों में अवसर प्रदान करता है। 'मैं नहीं बल्कि आप' इस आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए कालिंदी कॉलेज के एन.एस.एस. इकाई ने सामाजिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित किया और समाज की भलाई के लिए पूरे सत्र में कई मुद्दों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। कालिंदी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई में एक सौ स्वयंसेवक कार्यरत हैं।

एन.सी.सी . नेशनल कैडेट कोर

एन.सी.सी. प्रभारी -डॉ. आरती सिंह

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है , जिसकी स्थापना 1917 में सैन्य शक्ति के अनुपूरक के रूप में किया गया था। यह अभ्यर्थी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बौद्धिक स्तरों के विकास पर केंद्रित है। साहस, सहयोग भावना, अनुशासन, नेतृत्व शक्ति और धर्मनिरपेक्ष आदि गुणों को विकसित करता है । निःस्वार्थ सेवा ,खेल कौशल और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना भी यह उत्पन्न करता है । इसका मुख्य उद्देश्य समर्पित युवाओं के संगठनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन निर्मित करना है, जो आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों की सहायता और राष्ट्र की सेवा करे। एन.सी.सी. पूरे वर्ष कई शिविरों का आयोजन करता है, जिसमें युवाओं को सेना, नौसेना और वायु कमान के विशेषज्ञों द्वारा पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। कैडेट को बी और सी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है, जो उन्हें सशस्त्र बल , पुलिस और सी.आर.पी.एफ. के साथ रोजगार हासिल करने में 5 से 10% लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है । इसके अलावा एन.सी.सी. हर वर्ष पैरासेलिंग, फायरिंग,

पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून राइड सहित विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों में छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय एकता शिविर (एन. आई .सी.), बुनियादी नेतृत्व शिविर (बी. एल .सी.) और वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (ए. टी .सी.) भी आयोजित करता है।

एन. एस.ओ. राष्ट्रीय खेल संगठन

निदेशक- डॉ. सुनीता शर्मा , सुश्री सुधा पांडे

कालिंदी महाविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग छात्राओं और कर्मचारियों को खेल और खेल से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करता है, इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक भागीदारी है। विभाग एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, फुटबाल, हैंडबॉल,जूडो, कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, ताईक्वांडों, वालीबाल और भारोत्तोलन जैसे विभिन्न एकल और सामूहिक खेलों की कोचिंग प्रदान करता है। ये टीमें विभिन्न अंतरमहाविद्यालयी, अंतरविश्वविद्यालयों, राज्य और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। इसके अलावा यह विभाग शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अंतरमहाविद्यालयी टूर्नामेंट, अंतरवर्गीय मैचों का भी आयोजन करता है।

डब्ल्यू.डी.सी.महिला विकास केंद्र

संयोजक-डॉ. अनीता टैगोर

महिला विकास केंद्र कालिंदी महाविद्यालय का लैंगिक मंच है। यह भारत में लिंग और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विभिन्न लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम जैसे -संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्ता, फिल्म शो और वाद- विवाद का आयोजन करता है। डब्ल्यू.बी.सी. का मुख्य उद्देश्य परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता, समानता और विभेदन को सुनिश्चित करना है।

ई.ओ.सी. समान अवसर प्रकोष्ठ

संयोजक- डॉ. अंजनी कुमार

कालिंदी महाविद्यालय का समान अवसर प्रकोष्ठ विभिन्न क्षमता वाले छात्रों को पूर्णतया अनुकूल और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । पूरे महाविद्यालय में 5 छात्र हैं, जिनमें अलग-अलग क्षमताएं हैं, इनके विकास के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार अनेजा, अंग्रेजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर आर.पी.सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की चुनौतियों और संभावनाओं के साथ सरकारी योजना के तहत शैक्षणिक, वित्तीय, छात्रवृत्ति, नौकरी तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताना था। महाविद्यालय से प्राप्त सुविधाओं के बारे में जानकारी देना इसका उद्देश्य था।

सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ

संयोजक- डॉ. इंदू चौधरी

कालिंदी कॉलेज का सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ 2015 से सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है । एस.आर.सी. की विभिन्न परियोजनाओं के तहत रक्तदान, अंगदान, प्लास्टिक प्रयोग प्रतिषेध अभियान, युवा संवेदीकरण कार्यशाला, कौशल विकास प्रशिक्षण और वृद्धाश्रम का दौरा करके समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। प्रकोष्ठ में दो प्रमुख संघ शामिल हैं-एनएक्टेकस और सी. डी. एफ. जो छात्रों को अपने लक्ष्य को पहचानने और फिर इसके जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित कर, उन्हें पुनः समाज को लौटाने के प्रति जिम्मेदार है। एनेक्टस कालिंदी की दो परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है- प्रोजेक्ट रहमत और प्रोजेक्ट वेरेन । प्रोजेक्ट वेरेन संयुक्त राष्ट्र के सतत्वि विकास लक्ष्यों के साथ जुड़कर जीवन को परिवर्तित करने और नव समाधानों को बढ़ावा देकर सृजनात्मक प्रभाव डालने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, जो इस प्रकार हैं- स्वच्छता, कृषि, भेदभाव मिटाना और स्त्री सशक्तिकरण। कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन (सी.डी.एफ.) कालिंदी महाविद्यालय; प्रोजेक्ट किलकारी, प्रोजेक्ट उन्नति और प्रोजेक्ट कहानी

उद्यमशील उपक्रमों और कार्यों से समाज के वंचित वर्ग का उत्थान करता है और निर्धनों के जीवन में उम्मीद जगाता है ।

सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को सफल कैरियर के लिए आवश्यक अनुभव, कौशल और संपर्क प्राप्त करते हुए समाज में एक अलग स्थान बनाने का अवसर प्रदान करता है ।

आरंभ से ही प्रकोष्ठ विभिन्न सहकारी और सामाजिक कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों और संस्थागत उपक्रमों के द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ पूरा करता रहा है । कम समय में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे संकाय, संसाधन और भूतपूर्व छात्राओं से वंशानुक्रम में प्राप्त विरासत है । कालिंदी महाविद्यालय की सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में हजार छात्रों से भी अधिक छात्रों ने अन्य छात्रों तथा व्यापार जगत के नेताओं के साथ मिलकर एक विश्वव्यापी संजाल बनाया है ,जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमारे साझे उद्देश्य के लिए अपना योगदान दे रहा है।

इको क्लब

संयोजक- डॉ. सीमा सहदेव

कालिंदी महाविद्यालय का इको क्लब एक बहुआयामी अत्यधिक सक्रिय संस्था है, जो एन.सी.टी. दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के साथ सहयोग कर चलता है । इको क्लब आगामी पीढ़ी के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।अध्यापकों और विद्यार्थियों के समूह से मिलकर बना इको क्लब परिसर को उपयोगी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल आदतें-जैसे पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करता है । यह पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इको क्लब के मुख्य उद्देश्य हैं-

१ वृक्षारोपण के द्वारा विद्यार्थियों को अपने आस-पास के वातावरण को हरा-भरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

२ विद्यार्थियों को प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करने तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए जागरूक किया जाता है; क्योंकि ये नालियों और शिविरों को रोककर जलभराव के रूप में मच्छरों की उत्पत्ति की जमीन तैयार करती है ।

३ पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़े हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता, रैली , नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जाता है ।

४ व्यक्तिगत और समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता करने की भावना, पर्यावरण की सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उपायों को अपनाना ।

५ छात्रों में पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और सुलझाने का कौशल विकसित करना ।

वर्ष 2019-20 के दौरान इको क्लब ने अभियान जैसे - स्वच्छता अभियान, अग्निशमन अभियान, वार ऑफ कोरोना पर ऑनलाइन चित्र निर्माण प्रतियोगिता, ग्रीन मेंस्ट्रेशन, 'महामारी का दौर : एक आशा या निराशा ' विषय पर ऑनलाइन वाद- विवाद प्रतियोगिता आयोजित की ।

डॉ. भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र

संयोजक -डॉ. सुनीता मंगला

कालिंदी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) का अंबेडकर अध्ययन केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की दृष्टि से यह अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी तरह का पहला केंद्र है, जो वर्ष 2017 में स्थापित किया गया । केंद्र डॉ. भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण और मिशन को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए प्रतिबद्ध है । सामाजिक न्याय के लिए बाबासाहेब के निरंतर संघर्ष, मानव अधिकारों और संवैधानिक सुधारों पर उनके अद्वितीय विचारों की प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए,जनता की समस्याओं को जानने के लिए अंतरअनुशासनात्मक चर्चाओं और शिक्षाविदों, सभ्य समाज और जनता को

शिक्षित करने का प्रयास करता है । बाबा साहेब की विरासत को प्रतिष्ठित करने और वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों को दोहराने के लिए के लिए पूर्व में बाबासाहेब स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया।

गांधी अध्ययन मंडल

संयोजक- डॉ. संगीता ढल

कालिंदी महाविद्यालय का गांधी अध्ययन मंडल (जी.एस.सी.) एक सक्रिय पाठ्यविषयी संस्था है , जो युवा छात्रों में गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित वैकल्पिक विचार और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच / पृष्ठभूमि प्रदान करता है । कालिंदी महाविद्यालय का गांधी अध्ययन मंडल गांधी के विचारधाराओं और उनके महत्व को सामयिक समय में जीवन मूल्यों और नैतिकता के साथ आधुनिक नव भारत के निर्माण में उनके योगदान पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है । पिछले कुछ वर्षो में शैक्षणिक संस्था के रूप में छात्रों और शिक्षकों दोनों को गांधीवादी विश्वास और मूल्यों के साथ जीवन जीने को बढ़ावा देने में यह संस्था उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है । पिछले कुछ वर्षों में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में छात्रों को यह जटिल निविष्टियों (गांधीवादी बौद्धिक पूरकता) के साथ संबद्ध कर विकसित करने का प्रयास करता है, जो लंबे समय तक उनके नैतिक मूल्यों को बनाए रखे। केंद्र का मानना है कि गांधी को एक लोकप्रिय युवा आइकन के रूप में स्थापित करने के लिए और समकालीन समय में उनकी प्रासंगिकता पर जोर देने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की । पूर्वगत अनुभवों के आधार पर यह मानते हैं कि गांधी को पढ़ने, पढ़ाने और सीखने के और भी अनेक नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है ।

नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ

संयोजक-डॉ. इंदू चौधरी

कालिंदी महाविद्यालय का नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ का ध्यान महाविद्यालय के विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्वयंसेवी संस्थानों में इंटर्न के अवसर प्रदान करना है । अपनी स्थापना के बाद से इसने प्लेसमेंट वीक, इंटर्नशिप अभियान के साथ-साथ टाटा पावर, डी.डी.एल.,एच.डी.एफ.सी. बैंक, रिलायंस जिओ आदि कंपनियों के साथ जुड़कर प्लेसमेंट में अपार सफलता प्राप्त की है । इसके अलावा संभावित के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संविक्षा और चयन की प्रक्रिया का सामना करने के लिए छात्रों में प्रवीणता हासिल करने के लिए नियुक्तिकारी प्रकोष्ठ ने 2019 में सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, जिसके तहत विभिन्न सत्रों और सेमिनारों का आयोजन किया गया- स्ववृत (संक्षिप्त विवरण) निर्माण, समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और नौकरी आवेदन प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य पहलुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर किया गया ।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ

संयोजक - डॉ. मीना चरांदा,

कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला महाविद्यालय है, जहां एससी / एसटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के तत्कालीन निदेशक उमेश राय ने सितंबर 2015 में किया । प्रकोष्ठ ने एस. सी., एस.टी. विद्यार्थियों के लिए पहले ओरियंटेशन प्रोग्राम जुलाई 2019 में किया । जहां विभिन्न मुद्दों के तहत आरक्षित वर्ग के छात्रों (एस. सी.और एस.टी.) के कल्याण और उत्थान हेतु चर्चा की गई |

उत्तरी- पूर्वी सीमांत तथा विदेशी अध्ययन प्रकोष्ठ

सह-संयोजक- डॉ. मनीला नारजरी

कालिंदी महाविद्यालय का उत्तरी पूर्वी सीमा तथा विदेशी छात्र प्रकोष्ठ, दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना प्रकोष्ठ है, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया। हालांकि पहले ही भारत सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की प्रकोष्ठ की स्थापना का निर्देश दिया था । प्रकोष्ठ का उद्देश्य भारत के साथ-साथ पूरे विश्व के विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को जागरूक करना था। इससे उन्हें परिसर में समानता, अन्य संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता और छात्रों के साथ-साथ संकाय के बीच भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता मिलेगी । प्रकोष्ठ छात्रों के लिए एक सक्षम प्रणाली के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें नए वातावरण में समायोजित करने में मदद करता है । उनमें से बहुत ऐसी जगहों से आते हैं, जिनकी संस्कृति का आपस में कभी आमना-सामना नहीं हुआ। यह प्रकोष्ठ समय-समय पर प्रेरक व्याख्यान भी रखा तथा छात्रों के लाभ के लिए सफल कार्यशाला का आयोजन करवाया गया। प्रकोष्ठ वर्ष में उत्तरी पूर्वी सांस्कृतिक त्योहार 'सेरेंडीपीटी' का भी आयोजन करता है। जो इस प्रांत से आते हैं वे न केवल सक्रिय भागीदारी करते हैं, बल्कि प्रकोष्ठ के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में भी मदद करते हैं।

अभिभावक -शिक्षक -छात्र बैठक (इंटरफ़ेस) पीटीएसआई

संयोजक- डॉ. अलका चतुर्वेदी

अभिभावक-शिक्षक- छात्र बैठक (इंटरफ़ेस) माता-पिता शिक्षकों और छात्रों से बना एक औपचारिक संगठन है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालय में माता-पिता की भागीदारी को सुगम बनाना है। पीटीएसआई का मुख्य उद्देश्य हैं -

१-छात्राओं के समर्थन में अभिभावक और शिक्षकों के बीच कार्यात्मक संबंध सुदृढ़ बनाना।

२- महाविद्यालय में क्या हो रहा है, इसके बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं उनकी राय जानने के लिए।

३-अभिभावक और शिक्षकों के दृष्टिकोण से छात्रों को समझने के लिए ।

५-यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाविद्यालय छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा सीखने का अनुभव प्रदान करता है ।

६-महाविद्यालय एक वर्ष में दो बैठक आयोजित करता है- पहली बैठक सत्र (जुलाई -दिसंबर)और दूसरी सत्र (जनवरी-अप्रैल) में । अभिभावकों को विद्यार्थियों के विकास और शिक्षकों के सहयोग से आगामी योजना को जानने के लिए कि हमारे सभी विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं । शैक्षणिक सत्र 2019 में एक पीटीएम 9 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए । इस बैठक के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि और महाविद्यालय के प्रबंधन और शिक्षकों समेत महाविद्यालयी गतिविधियों इन सभी पर उनकी राय जाना जाता है। वे यह भी जान सकते हैं कि महाविद्यालय कैसे कार्य करता है और छात्रों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीटीएसआई विद्यार्थी और महाविद्यालय के जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता है । किसी भी छात्र के बारे में अधिक जानने से शिक्षकों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है ।

तंबाकू -विरोधी समिति

संयोजक -. डॉ. पूनम त्यागी

कालिंदी महाविद्यालय इस बात पर गर्व करता है कि हमारे महाविद्यालय का परिसर धूम्रपान मुक्त है और उनके आसपास तंबाकू उत्पादों का उपयोग और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हमारे परिसर को धूम्रपान और तंबाकू से संबंधित उत्पादों के उपयोग से मुक्त रखने के प्रयास में संवेदीकरण कार्यक्रम, पोस्टर्स और बैनर्स का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन छात्राओं और कर्मचारियों को इसके सेवन के प्रतिकूल

प्रभाव के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए किया जाता है । इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2019 से नोडल अधिकारी को इसका उल्लंघन करने पर ₹500₹ का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है ।

आई.बी.एस.डी.समिति

संयोजक- डॉ. पुष्पा बिंदल

25 जनवरी 2017 को कालिंदी महाविद्यालय ने जैव- संसाधन और सतत विकास संस्थान, इंफाल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)पर हस्ताक्षर किया और महिला उद्यमिता केंद्र की स्थापना की। आई.बी.एस.डी. का मुख्य उद्देश्य जीव विज्ञान और जैव- प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा उत्तरी पूर्वी राज्यों की जैव- विविधता का पता लगाना है। केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं- प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए छात्रों के आदान-प्रदान के अवसर देना, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैव विविधता और मूल्यवर्धित उत्पाद को जैव-संसाधनों से जोड़ने एवं नस्लीय जैविक अध्ययन के बारे में जागरूकता और पशु/ पौधे ,जैव संसाधनों पर शोध करना है। आई.बी.एस.डी.समिति हर वर्ष उत्तरी-पूर्वी राज्यों में छात्रों को लघु उद्योग स्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए ,कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करता है ।

वार्षिक अकादमिक जर्नल (खंड XIX)

संपादक-डॉ.अंजली बंसल, सह- संपादक - डॉ. चैती दास (अंग्रेजी अनुभाग)

संपादक डॉ. निशा गोयल, सह-संपादक- डॉ. रक्षा गीता (हिंदी अनुभाग)

कालिंदी महाविद्यालय की वार्षिक अकादमिक पत्रिका को अपने उन्नीसवें अंक को प्रकाशित करने पर गर्व है। पत्रिका को पीयर रिव्यू के द्वारा बढ़ाने की प्रक्रिया तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई थी । पत्रिका में अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं और ज्ञान एवं मानविकी के अंत:अनुशासनात्मक विविध विषयी शोध-पत्र भी प्रकाशित हुए। स्नातक स्तर पर अच्छे अकादमिक कार्यों को बढ़ावा देने की पहल के कारण महाविद्यालय में अनुसंधान परियोजना का एक वृहत संग्रह बनाया गया है । यहां पर छात्रों को उनकी रूचि के क्षेत्र से

संबंधित विभागों के सदस्यों द्वारा सलाह दी जाती है । आज अच्छी परियोजनाओं को भी उसी प्रक्रिया (पीयर रिव्यू पत्रिका में छपने वाले लेख के समान) से गुजारा जाता है । परियोजना को संरक्षित करना , स्वीकृति और मान्यता प्राप्त कराना । इस प्रकार स्नातक स्तर से इस शैक्षणिक अनुसंधान की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है ।

शार्ट टर्म ऐड-ऑन कोर्स

समन्वय- डॉ. निधि कपूर

महाविद्यालय का शासी निकाय गवर्निंग बॉडी.अल्पावधि कोर्स शॉर्ट टर्म ऐड-ऑन कोर्सेज प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उन कौशलों से परिपूर्ण करना है, जो उन्हें आज के विश्व की कड़ी स्पर्धा जॉब मार्केट में कौशल और लाभ प्रदान करें।

ऐड ऑन कोर्स का नाम	समन्वयक
सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज- फ्रेंच	सुश्री सोनिया कंबोज
सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज -चाइनीज़	सुश्री चारू खन्ना
सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रैवल टूरिज्म	डॉ. सीमा सहदेव
सर्टिफिकेट कोर्स इन फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन डायरेक्शन	डॉ. मीना चरांदा
सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोजर्नलिज्म	डॉ. मीना चरांदा
संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास	डॉ.चैती दास

पुस्तकालय

पुस्तकालयाध्यक्ष- सुश्री कर्णिका गौड़

महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों का वृहत्त संग्रह है । पुस्तकालय में 84,970 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें विभिन्न विषयों पर बुक बैंक और स्टूडेंट ऐडेड फंड पुस्तकें शामिल है, जो छात्रों को उनके अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करने के लिए जारी की जा सकती है । हमारे पास

पुस्तकों को चयनित करने की एक विस्तृत श्रृंखला है। पुस्तकालय संग्रह को तीन खंडों -सामान्य, पाठ्यपुस्तक और संदर्भ अनुभाग में विभाजित किया गया है । पुस्तकालय की सुविधा लेकर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल का भी उल्लेख किया जा सकता हैं । वर्तमान में पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी के 14 समाचार पत्रों को मंगवाया जा रहा है। पुस्तकालय अपनी खुली रैक प्रणाली, विशाल वाचनालय कक्ष, वेब केंद्र और संदर्भ अनुभाग के साथ अध्ययन के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है । पुस्तकालय के सक्षम और मैत्रीपूर्ण कर्मचारी छात्रों को पुस्तकों और पुस्तकालय की सुविधाओं के बारे में बता कर मार्गदर्शन करते हैं । छात्राओं को पुस्तकालय की नियमित और जिम्मेदार उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । पुस्तकालय में छायाप्रति (फोटोस्टेट) की सुविधा शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है । पुस्तकालय के प्रथम तल पर छात्राओं और संकाय सदस्यों के लिए डी.यू.एल.एस., एन-सूची, डेलनेट के माध्यम से ई- संसाधनों के उपयोग के लिए वेब केंद्र उपलब्ध हैं । पुस्तकालय द्वारा एनलिस्ट डेलनेट के माध्यम से ई-संसाधनों का रिमोट लॉगिन एक्सेस भी प्रदान किया गया है ।

पुस्तकालय हरीतिमा के उपक्रम को भी बढ़ावा दे रहा है और इसलिए पुस्तकालय वेस्ट पेपर के बदले में पुन:नवीनीकरण सामग्री को खरीद रहा है । अक्षम छात्रों के लिए डी.यू. ब्रेल पुस्तकालय द्वारा ई-पुस्तकों को उपलब्ध करवा रहा हैं और दो स्क्रीन वाचन सॉफ्टवेयर जैसे एन.वी.डी. ए. और हिंदी ओ. सी. आर. भी पुस्तकालय उपलब्ध करवा रहा है ।

पुस्तकालय सदस्यता

पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए छात्राओं को पुस्तकालय में उपलब्ध सदस्यता प्रपत्र (फार्म) भरना होता है । इसके साथ तीन नवीनतम फोटो (०2 पासपोर्ट आकार और ०1 स्टाम्प आकार) संलग्न करनी होती है । प्रपत्र (फॉर्म) भरने के बाद, छात्र पुस्तकालय द्वारा दी गई दिनांक को अपना सदस्यता कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

साइबर सेंटर

समन्वयक -डॉ वंदना गुप्ता और सुश्री कर्णिका गौड़

छात्रों के साइबर सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह के द्वारा 2012 में छात्रों के साइबर सेंटर का उद्घाटन किया गया। साइबर सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय नेटवर्क से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 4 एम.बी.पी.एस. की गति के साथ जुड़ा हुआ है । इसमें 2 सर्वर, 1 राउटर, 8 स्विच और 80 कंप्यूटर है। इनमें एक नया यूजीसी संसाधन नेटवर्क केंद्र है, जिसमें नवीनतम विशेषताओं से युक्त 8 कंप्यूटर हैं।

शिक्षक साइबर केंद्र: शिक्षकों में शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय के छात्रों के साइबर सेंटर के साथ ही शिक्षक साइबर केंद्र को भी स्थापित किया गया है, जिसमें 35 कंप्यूटर जो. एल.ए.एन. और अंतर्जाल इंटरनेट की सुविधा से जुड़े हैं । यह वातानुकूलित केंद्र सभी नवीनतम सॉफ्टवेयर यू.पी.एस.,प्रिंटर इत्यादि से युक्त है।

इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफ़ेसर दिनेश सिंह द्वारा किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में 63 उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को कैंपस नेटवर्क के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया है । इन 21 डेटाबेस के अलावा यूजीसी- इंफोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी, कंसोर्टियम के साथ ही सुलभ है । इस परिसर में व्यापक नेटवर्क के संसाधन भी उपलब्ध हैं।

तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (CBCS)

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन योजना (सेमेस्टर प्रणाली)

1. आंतरिक मूल्यांकन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.1 आंतरिक मूल्यांकन के लिए योजना का पालन केवल नियमित धारा में किया जाएगा, और शैक्षणिक सत्र 2003-04 से प्रवेशित छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री पाठ्यक्रमों में लागू होगी (यानी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आरंभ होगी)

1.2 आंतरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जायेंगे व अंक तालिका में अलग से दिखाए जाएंगे और छात्र के अंक विभाजन का निर्धारण करने के लिए ये अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंकों में जोड़े जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंक का 25% आंतरिक मूल्यांकन के लिए और शेष 75% अंकों को सेमेस्टर विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए सौंपा जाएगा; इस 75% घटक के संबंध में वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा की समय, अवधि और अन्य साधन व तरीके विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा की मौजूदा योजनाओं के अनुसार बने रहेंगे।

1.3 सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा योजना के लिए, सेमेस्टर के दौरान आयोजित गृह परीक्षा के लिए 10% महत्व सौंपा जाएगा। गृह परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी गृह परीक्षा में दोबारा आवेदन करने का अनुरोध केवल चिकित्सा के आधार पर किया जाएगा और केवल सी.जी.एच.एस. / सरकारी अस्पताल / विश्वविद्यालय से अनुमोदित / अनुभव वाले अस्पताल से ही चिकित्सा प्रमाण जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, वही प्रार्थना पत्र मान्य होगा। गृह परीक्षाओं के पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी तारीख महाविद्यालय निर्धारित करेगा।

1.4 प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन लिखित परियोजना/परीक्षा/ट्यूटोरियल के साथ-साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टर्म पेपर / सेमिनार के आधार पर किया जाएगा। ऐसी लिखित परियोजना के लिए 10% महत्व होगा; और प्रोजेक्ट रिपोर्ट / प्रस्तुतियों / टर्म पेपर / सेमिनार । प्रत्येक छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति पेपर कम से कम एक लिखित परियोजना देनी होगी।

1.5 व्याख्यान और ट्यूटोरियल नियमित रूप से लेने वाले छात्रों के लिए के लिए 5% महत्त्व होगा, और उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक पेपर में नियमितता का श्रेय निम्नानुसार होगा :

आंतरिक मूल्यांकन

गृह परीक्षा (सेमेस्टर प्रणाली): 10%

लिखित असाइनमेंट / टेस्ट / ट्यूटोरियल / प्रस्तुति / प्रोजेक्ट :10%

उपस्थिति के अंक : 5%

उपस्थिति के अंक

67% से अधिक लेकिन 70% से कमः 1अंक

70% या अधिक लेकिन 75% से कम: 2 अंक

75% या अधिक लेकिन 80% से कमः 3 अंक

80% या अधिक लेकिन 85% से कमः 4 अंक

85% और ऊपर : 5 अंक

(नियमित उपस्थिति के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों का श्रेय और उसकी गणना करते समय मेडिकल प्रमाण पत्र को बाहर रखा जाएगा, हालांकि अध्यादेश VII के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता की गणना करने के उद्देश्य से इस तरह के प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखा जाएगा।) छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी कक्षाएं लें।

अध्यादेश VII के प्रावधानों के अनुसार, यदि उपस्थिति के संबंध में कोई नवीनतम संशोधन है तो उससे सम्बंधित निम्नलिखित नियम महाविद्यालय द्वारा देखे जाएंगे:

1. एक छात्र को परीक्षा में उपस्थित होने की पात्रता के लिए अलग से दिए गए व्याख्यान / प्रैक्टिकल / प्रेजेंटेशन / ट्यूटोरियल की कुल संख्या के दो तिहाई भाग लेने की आवश्यकता होगी।

2. जो छात्र उपर्युक्त सभी विषयों में एक साथ उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता, लेकिन संबंधित सेमेस्टर के दौरान 40% से कम व्याख्यान / प्रैक्टिकल / प्रेजेंटेशन / ट्यूटोरियल में शामिल नहीं होता तो प्राचार्या के विवेकाधिकार पर ही आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। इस तरह के छात्र को अगले सेमेस्टर में कमी पूरी करने की आवश्यकता होगी।

3. जो छात्र 40% से कम व्याख्यान / प्रैक्टिकल / प्रेजेंटेशन / ट्यूटोरियल में शामिल नहीं हो पाता है, उसे आगामी सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

4. ऐसे छात्र जिन्हें एनसीसी कैम्प / सिविल डिफेंस वर्क / एनएसएस / पब्लिक असाइनमेंट / स्पोर्ट्स या अन्य करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए चुना जाएगा और जो विभिन्न फोरम में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगे; अनुपस्थिति की अवधि के दौरान जैसा कि छात्रों द्वारा भाग लिया जाना माना जाता है, यदि संबंधित शिक्षक द्वारा अनुशंसित / अग्रेषित किया गया हो और प्रधानाचार्य द्वारा अनुमोदित हो तो कॉलेज में दिए गए व्याख्यान आदि की कुल संख्या की गणना में (वास्तविक भागीदारी / प्रतिनिधित्व के कारण) ही उनकी भी गणना की जाएगी।

5. आंतरिक मूल्यांकन की प्रस्तावना के साथ, प्रत्येक पेपर में विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए अधिकतम अंक तदनुसार कम हो जाएंगे।

6. संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रोन्नति मानदंड विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए मौजूदा अध्यादेश के अनुसार लागू होगा। इसके अलावा महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन व विश्वविद्यालय में एक साथ ली गई परीक्षा के कुल अंक एक ही मानदंड पर लागू होगा।

7. प्रत्येक विभाग में आंतरिक मूल्यांकन के लिए एक परिनियमन समिति होगी जिसमें वर्तमान शिक्षक-प्रभारी, पूर्व-शिक्षक-प्रभारी और विभाग के वरिष्ठतम सदस्य शामिल होंगे।

कालिंदी महाविद्यालय
Courses Offered प्रस्तावित पाठ्यक्रम
B.A (Hons) Economics बी.ए. (विशेष) अर्थशास्त्र
B.A (Hons) English बी.ए. (विशेष) अंग्रेजी
B.A (Hons) Geography बी.ए. (विशेष) भूगोल
B.A (Hons) Hindi बी.ए. (विशेष) हिंदी
B.A (Hons) History बी.ए. (विशेष) इतिहास
B.A (Hons) Journalism बी.ए. (विशेष) पत्रकारिता
B.A (Hons) Political Science बी.ए. (विशेष) राजनीति विज्ञान
B.A (Hons) Sanskrit बी.ए. (विशेष) संस्कृत
B.Com बी.कॉम
B.Com (Hons) बी.कॉम (विशेष)
B.Sc (Hons) Botany बी. एससी. (विशेष) वनस्पति
B.Sc (Hons) Chemistry बी. एससी. (विशेष) रसायन शास्त्र
B.Sc (Hons) Computer Science बी. एससी. (विशेष) कंप्यूटर विज्ञान

B.Sc (Hons) Mathematics बी. एससी. (विशेष) गणित विज्ञान
B.Sc (Hons) Physics बी. एससी. (विशेष) भौतिक विज्ञान
B.Sc (Hons) Zoology बी. एससी. (विशेष) जंतु विज्ञान
B.Sc (Life Sciences) बी. एससी. लाइफ साइंस
B.Sc. Physical Science with Computer बी. एससी. फिजिकल साइंस विथ कंप्यूटर
B.Voc. Web Designing बी. वोक. वेब डिज़ाइन
B.A Programme (Buddhist Studies + History) बी.ए. प्रोग्राम (बुद्धिस्ट स्टडीज + इतिहास)
B.A Programme (Buddhist Studies + Music) बी.ए. प्रोग्राम (बुद्धिस्ट स्टडीज + संगीत)
B.A Programme (Buddhist Studies + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (बुद्धिस्ट स्टडीज + राजनीति विज्ञान)
B.A Programme (Computer Sc. + Economics) बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर विज्ञान + अर्थशास्त्र)
B.A Programme (Computer Sc. + Entrepreneurship and Small Business (ESB) बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर विज्ञान +उद्यमिता और लघु व्यवसाय) (ईएसबी)
B.A Programme (Computer Sc. + Geography) बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर विज्ञान + भूगोल)
B.A Programme (Computer Sc. + Mathematics) बी.ए. प्रोग्राम (कंप्यूटर विज्ञान + गणितशास्त्र)
B.A Programme (Economics + Entrepreneurship and Small Business (ESB)) बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + उद्यमिता और लघु व्यवसाय) (ईएसबी)
B.A Programme (Economics + Geography) बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + भूगोल)
B.A Programme (Economics + History) बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + इतिहास)
B.A Programme (Economics + Mathematics) बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + गणितशास्त्र)
B.A Programme (Economics + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)
B.A Programme (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Geography) बी.ए. प्रोग्राम (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + भूगोल)
B.A Programme (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + History) बी.ए. प्रोग्राम

(उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + इतिहास)
B.A Programme (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Mathematics) बी.ए. प्रोग्राम (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + गणित शास्त्र)
B.A Programme (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (उद्यमिता और लघु व्यवसाय (ईएसबी) + राजनीति विज्ञान)
B.A Programme (Geography + History) बी.ए. प्रोग्राम (भूगोल + इतिहास)
B.A Programme (Geography + Mathematics) बी.ए. प्रोग्राम (भूगोल + गणित शास्त्र)
B.A Programme (Geography + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (भूगोल + राजनीति)
B.A Programme (History + Music) बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + संगीत)
B.A Programme (History + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + राजनीति विज्ञान)
B.A Programme (Music + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (संगीत + राजनीति विज्ञान)
B.A Programme (Sanskrit + Buddhist Studies) बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + बौद्ध अध्ययन)
B.A Programme (Sanskrit + History) बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + संगीत)
B.A Programme (Sanskrit + Music) बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + संगीत)
B.A Programme (Sanskrit + Political Science) बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)

सीटों का आबंटन

महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम (स्नातक-योग्यता आधारित)	प्रस्तावित सीटों की संख्या						
		कुल सीटें	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	पिछड़ा वर्ग	आर्थित रूप से पिछड़ा बर्ग	अल्पसंख्यक
कालिन्दी महाविद्यालय	बी.ए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) अंग्रेजी	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) भूगोल	58	24	9	3	15	7	
	बी.ए (ऑनर्स) हिन्दी	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) इतिहास	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए (ऑनर्स) पत्रकारिता	58	24	9	3	15	7	
	बी.ए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	154	63	23	9	41	18	
	बी.ए (ऑनर्स) संस्कृत	78	31	11	5	21	10	
	बी.ए.प्रोग्राम	289	117	44	17	78	33	
	बी.कॉम	115	46	17	7	31	14	
	बी.कॉम (ऑनर्स)	58	24	9	3	15	7	
	बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान	58	24	9	3	15	7	
	बी.एससी (ऑनर्स) गणित	39	16	6	2	10	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी	39	16	6	2	10	5	
	बी.एससी (ऑनर्स) प्राणीशास्त्र	40	16	6	2	11	5	
	बी.एससी (जीवन विज्ञान)	78	31	11	5	21	10	
	बी.एससी. भौतिक विज्ञान	58	24	9	3	15	7	
	बी.वोक वेब डिजाइनिंग	63	25	10	4	17	7	
	एम.ए.हिन्दी	19	8	3	1	5	2	
	एम.ए राजनीति विज्ञान	19	8	3	1	5	2	
	एम.ए.संस्कृत	19	8	3	1	5	2	

प्रवेश निर्देश

प्रवेश निर्देश

1. 2020-21 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण:

पंजीकरण पोर्टल 20 जून 2020 से 4 जुलाई 2020 तक खोला जाएगा।

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश (मेरिट/प्रवेश/खेल/ईसीए/संगीत) ऑन लाइन पूरा किया जाएगा जहां आवेदक की कोई भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

प्रवेश की प्रक्रिया

पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क का भुगतान-

- परिणामों को अपडेट करने के लिए पोर्टल को फिर से खोलना
- कट-ऑफ की घोषणा
- कोर्स और कॉलेज का चयन
- दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन
- प्रवेश की पुष्टि करने के लिए फीस का भुगतान
- मूल दस्तावेजों का प्रत्यक्ष सत्यापन

केवल एक पंजीकरण-सह-प्रवेश फॉर्म

आवेदक के प्रवेश की पुष्टि के बाद / प्रवेश के समापन के बाद बिना किसी अतिरिक्त लागत, आवेदकों से ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है।

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड

- आवेदक को भारतीय विश्वविद्यालय (AIU) एसोसिएशन द्वारा10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त भारत में किसी भी बोर्ड / विश्वविद्यालय परीक्षा से कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम की योग्यता और योग्यता की गणना के लिए आवेदक को आवश्यक प्रत्येक विषय में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए (यदि कोई हो तो व्यावहारिक सहित)। "कम्पार्टमेंट" परिणाम के साथ आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अंतर वर्ष (ओं) वाले आवेदक किसी भी नुकसान में नहीं होंगे।
- यूआर / एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत आवेदक सभी पाठ्यक्रमों / कॉलेजों / विभागों (अल्पसंख्यक कॉलेजों को छोड़कर, जहां कुछ श्रेणियां लागू नहीं हो सकती हैं) में योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।

निम्नलिखित श्रेणियां "विशेषाधिकार " नामित हैं:

i) पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति);
ii) सीडब्ल्यू (पैरा-मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के कार्मिक के बच्चे / विधवाएं);
iii) के. एम. (कश्मीरी प्रवासी);
iv) जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्र वृत्ति
v) एस.एस. (नामांकित सिक्किम के छात्र);
vi) डब्ल्यूक्यू (वार्डकोटा);
vii) खेलकूद
viii) ई. सी. ए.

उपर्युक्त श्रेणियाँ उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती हैं जहाँ प्रवेश योग्यताके आधार पर होता है।

2. **विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश**

कला, सामाजिक विज्ञान, एप्लाइड सामाजिक विज्ञान और मानविकी, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और इंटर-डिसिप्लिनरी और एप्लाइड साइंसेज जैसे विभिन्न संकायों के तहत अध्ययन के विभिन्नधाराओं के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा अपने संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। पाठ्यक्रम और पात्रता के लिए विभिन्न मापदंड नीचे सूची बद्ध हैं। **आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदकों को यह देखने के लिए अच्छी तरह से जांचना चाहिए।**

2.1: **मेरिट-आधारित यूजी प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम- वार मेरिट सूची**

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित पाठ्यक्रम-वार और श्रेणी-वार मेरिट सूची दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों / विभागों द्वारा पालन की जाएगी।

आवेदक द्वारा दर्ज किए गए अंक कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, एप्लाइड सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकायों के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बेस्ट फोर के पाठ्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के लिए कुल अंकों की गणना के आधार के रूप में काम करेंगे। और यह विषय तीन विषय, विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान के संकायों के तहत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह कॉलेज / विभागों द्वारा प्रथम कट-ऑफ अंकों की घोषणा से पहले प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

एक अलग अद्यतन मेरिट सूची आवेदकों के लिए एक अनुबंध के रूप में प्रकाशित की जाएगी, जिनके अंक सुझाए गए पाठ्यक्रम और श्रेणी-वार मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद अपडेट किए जाएंगे।

उक्त मेरिट लिस्ट की सुविधा के लिए, आवेदक विषयों को सूची ए औरसूची बी से प्रासंगिक के रूप में चुन सकता है|

2.1.1. **पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड में छूट**

उनकी पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति वर्ग के आवेदकों को संबंधित पात्रता मानदंड में 5% की छूट दी जाएगी और यूआर श्रेणी से आवेदकों के लिए निर्धारित प्रवेश के लिए योग्यता होगी। यदि, 5% छूट देने के बाद, ये आरक्षित सीटें अभी भी खाली हैं, तो संबंधित पाठ्यक्रम में सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक आगे की छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में पास-प्रतिशत ही योग्यता है।

पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को अर्हक परीक्षा में संबंधित पात्रता में छूट दी जाएगी, जो यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित पात्रता अंकों का 10% है। यदि किसी कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए 50% है, तो ओबीसी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 45% होगी (यानी 50% शून्य से 50% 10%)।

पीडब्ल्यूडी श्रेणी के आवेदकों को अर्हक परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए संबंधित पात्रता में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी।

सीडब्ल्यू श्रेणी के आवेदकों को पात्रता परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए संबंधित पात्रता में 5% की छूट दी जाएगी।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत योग्यता आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड यूआर श्रेणी के समान होगा।

2.1.2. **विषयों की सूची**

सूची A: भाषा विषय					
सूची A1					**सूची A2**
असमिया कोर	गुजराती कोर	मैथिली कोर	ओडिया कोर	तमिल कोर	अरबी कोर
असमिया वैकल्पिक	गुजराती वैकल्पिक	मैथिली वैकल्पिक	ओडिया वैकल्पिक	तमिल वैकल्पिक	अरबी वैकल्पिक
बंगाली कोर	हिंदी कोर	मलयालम कोर	पंजाबी कोर	तेलेगु कोर	फ्रेंच कोर
बंगाली वैकल्पिक	हिंदी वैकल्पिक	मलयालम वैकल्पिक	पंजाबी वैकल्पिक	तेलेगु वैकल्पिक	फ्रेंच वैकल्पिक
बोडो कोर	कन्नड़ कोर	मणिपुरी कोर	संस्कृत कोर	उर्दू कोर	जर्मन कोर

बोडो वैकल्पिक	कन्नड़ वैकल्पिक	मणिपुरी वैकल्पिक	संस्कृत वैकल्पिक	उर्दू वैकल्पिक	जर्मन वैकल्पिक
डोगरी कोर	कश्मीरी कोर	मराठी कोर	संथाली कोर		इतालवी कोर
डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी वैकल्पिक	संथाली वैकल्पिक		इतालवी वैकल्पिक
अंग्रेजी कोर	कोंकणी कोर	नेपाली कोर	सिंधी कोर		स्पेनिश कोर
अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी वैकल्पिक	नेपाली वैकल्पिक	सिंधी वैकल्पिक		स्पैनिश वैकल्पिक

सूची बी (वैकल्पिक विषय)		
लेखा	कंप्यूटर/ कंप्यूटर सूचना विज्ञान	विज्ञान/ अनुप्रयोग/
नृविज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र /तार्किक और दर्शनशास्त्र
जीवविज्ञान / जैवरसायन / जैव प्रौद्योगिकी	भूगोल	भौतिकी
व्यावसायिक गणित	भूगर्भशास्त्र	राजनीति विज्ञान
रसायन शास्त्र	इतिहास	मनोविज्ञान
नागरिक शास्त्र	गृह विज्ञान	समाजशास्त्र
वाणिज्य / व्यवसाय अध्ययन	विधि अध्ययन	सांख्यिकी

2.1.3. सीबीएसई के अलावा अन्य बोर्डों के लिए विशेष निर्देश

1. यदि एक पेपर का शीर्षक सूची ए और सूची बी में निर्दिष्ट के साथ मेल नहीं खाता है तब आवेदक के लिए अनिवार्य है कि वह संस्थान के प्रिंसिपल / विभागाध्यक्ष से अंतिम रूप से उपस्थित होने के लिए सामग्री तुल्यता प्रमाणपत्र प्रदान करे, यह प्रमाणित करना कि पेपर की सामग्री उस पेपर के लिए NCERT कक्षा XII के पाठ्यक्रम के बराबर है। इस समतुल्यता प्रमाण पत्र के साथ प्राचार्य / विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित पेपर के पाठ्यक्रम की एक प्रति होनी चाहिए। हालांकि, मामले पर दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2. यदि आवेदक ने जीव विज्ञान व प्राणिशास्त्र का अलग-अलग अध्ययन किया है, तो इन दोनों पपेरों में कुल अंकों को संबंधित क्षेत्रों में सिद्धांत के तहत और प्रैक्टिकल के लिए जीव विज्ञान के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए जो आप के प्रवेश पत्र में प्रदान की गई है ।

3. यदि आवेदक की अंक तालिकाओं में कक्षा XI और XII दोनों अंक हैं, तो आवेदक को प्रवेश प्रपत्रों में प्रदान किए गए संबंधित क्षेत्रों में केवल कक्षाXII के अंक दर्ज करने होंगे।

4. आवेदकों को अलग से थ्योरी और प्रैक्टिकल पास करना चाहिए । थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंपोनेंट वाले किसी भी पेपर को केवल 70 (थ्योरी) के अनुपात में माना जाएगा: 30 (प्रैक्टिकल) अगर पेपर का थ्योरी कंपोनेंट 70% से कमहै। आवेदक को अलग-अलग ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करना चाहिए, अंक और सिद्धांत और व्यावहारिक प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक, और कुल, उनकीमार्कशीटकेअनुसार।यदिसिद्धांत / व्यावहारिकब्रेकअपनिर्दिष्टनहींहै, तो आवेदक को संबंधित सिद्धांत / व्यावहारिक क्षेत्र में सिद्धांत 0 (शून्य) दर्ज करने की आवश्यकता होगी, और ऑन लाइन प्रवेश फॉर्म में केवल कुल दर्ज करना होगा।

5. अंक तालिका में उल्लिखित आंतरिक मूल्यांकन अंक किसी भी गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. सिद्धांत प्रैक्टिकल या योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में कोई भी विसंगति आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। आपका आवेदन फॉर्म संक्षिप्त रूप में खारिज कर दिया जा सकता है।

2.2 कला / सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट- आधारित

(*बेस्टफोर" कॉम्बिनेशन के लिए अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों की अनुमति दी जा सकती है*).

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट**
बी.ए.(विशेष) अंग्रेजी	अतिरिक्त पात्रता मानदंड अंग्रेजी में55% या उससे अधिक अंक गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ चार विषय का संयोजन: • अंग्रेजी में55% अंक या उससे अधिक का और कुल तीनका संयोजन निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ अन्य विषय: कोई भी भाषा विषय (कोर / वैकल्पिक) सूची ए, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कानून से अध्ययन, गणित, दर्शन, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और सर्वश्रेष्ठ के संयोजन में सूची बी से किसी अन्य विषय को शामिल करना तीनों को एग्रीगेट पर प्रति विषय 1% की कटौती होगी, • 2% की अधिकतम शुद्ध कटौती। नागरिक शास्त्र। • सूची ए और सूची बी में उन लोगों के अलावा किसी भी विषय का समावेश सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन से सर्व श्रेष्ठचार का समुच्चय से प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी|

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट**
बी.ए.(विशेष) हिंदी	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - हिंदी में 55% या उससे अधिक अंक सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन: - • हिंदी कोर / ऐच्छिक और 50% या अधिक अंक का कुल सूची ए और सूची बी से सर्व श्रेष्ठ तीन अन्य विषयों का संयोजन। • सूची ए और सूची बी में उन लोगों के अलावा किसी भी विषय का समावेश सर्व श्रेष्ठ तीन के संयोजन से सर्वश्रेष्ठ चार का समुच्चय। प्रति विषय2.5% की कटौती होगी|
बी.ए.(विशेष) संस्कृत	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - संबंधित विषय में दसवीं या बारहवीं कक्षा में 40% या उस से अधिक अंक जिसमें प्रवेश मांगा गया है। सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन: - • अंग्रेजी या किसी भी भारतीय में 45% या उस से अधिक अंकों का एक कुल सूची ए की भाषा और सर्वश्रेष्ठ तीन अन्य विषयों का संयोजन सूची ए और सूची बी। ● सूची ए और सूची बी में उन लोगों के अलावा किसी भी विषय का समावेश सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन से सर्वश्रेष्ठ चार का समुच्चय।

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट
	प्रतिविषय 2.5% की कटौती होगी|.
बी.ए.(विशेष) भूगोल/ इतिहास/राजनीति-विज्ञान	सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन ● अंग्रेजी या किसी एक में 55% अंकों या उससे अधिक का कुल योग सूची A1 से अनुसूचित भाषाएँ, और सर्वश्रेष्ठ तीन अन्य का संयोजन सूची ए और बी के वैकल्पिक विषयों से विषय| ● ऊपर चुने गए तीन सर्वश्रेष्ठ में से, जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, उसमें से एक संबंधित विषय होना चाहिए अन्यथा 1% की कटौती होगी जो कि बेस्ट फोर के एग्रीगेट पर लगाया गया है । हालांकि, यह कटौती दर्शन शास्त्र (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए लागू नहीं की जाएगी| ● सूची ए और बी में दिए गए के अलावा किसी भी विषय का समावेश 2.5% सर्वश्रेष्ठ तीन पर कुल मिलाकर सर्व श्रेष्ठ चार में से प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी|
बी.ए.(विशेष) अर्थशास्त्र	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - आवेदकों को गणित की योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।. सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन: - ● सूची ए1 से एक भाषा में 60% अंक या अधिक का कुल योग, सूचियों से सर्वश्रेष्ठ दो अन्य वैकल्पिक विषयों का गणित और संयोजन ए और बी| ● ऊपर चुने गए सर्वश्रेष्ठ दो में से, अर्थशास्त्र के शामिल न होने पर बेस्टफोर

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट**
	के एग्रीगेट पर 1% की कटौती की जाएगी । ●.सूची ए और बी में दिए गए के अलावा किसी भी विषय का समावेश 2.5% सर्वश्रेष्ठ तीन पर कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ चार में से प्रति विषय 2.5% की कटौती होगी|
बी. ए. प्रोग्राम. (अनुशासन विषय आधारित प्रवेश मानदंड)	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - • कक्षा XII में अंग्रेजी और हिंदी में 50% या अधिक अंक से किसी एक को चुनने के लिए इन्हें अनुशासन विषय के रूप में देखा जाता है। • अरबी, बंगाली, फारसी में दसवीं या बारहवीं कक्षा में 40% या उससे अधिक अंक,पंजाबी, संस्कृत और उर्दू इनमें से किसी को भी अनुशासन विषयों के रूप में चुनना| सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन: - • दो अनुशासन विषयों में 50% अंकों या उससे अधिक का कुल योग सूचियों ए और बी से सर्व श्रेष्ठ दो अन्य विषयों का संयोजन| • सूची ए 1 में अंग्रेजी या कोई भी एक भाषा होनी चाहिए सर्वश्रेष्ठ चार गणना में शामिल। • उक्त अनुशासन विषयों का गैर-समावेश, जिसमें प्रवेश है चाहता है बेस्ट फोर के एग्रीगेट पर 1% डिसिप्लिन सब्जेक्ट (संगीत और फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर) में कटौती करेगा।

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट
	इस प्रकार, संगीत के साथ प्रवेश के लिए संगीत का गैर-समावेश शारीरिक शिक्षा के लिए अनुशासन विषय और गैर-समावेश अनुशासन विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ प्रवेश होगा तो एग्रीगेट में 2.5% की कटौती की जाएगी | अंत: निम्नलिखित विषय: अरबी, बंगाली, फारसी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और दर्शन प्रवेश के लिए ऐसी किसी कटौती का प्रयोग नहीं किया जाएगा| • सूचियों ए और बी में दिए गए के अलावा किसी भी विषय को शामिल करने से एक को बढ़ावा मिलेगा लेकिन बेस्टफोर के एग्रीगेट पर प्रतिविषय 2.5% की कटौती पर| • धारा में बदलाव के लिए बी.ए. (प्रोग.) के लिए 5% कटौती नहीं की जाएगी।

2.3. एप्लाइड सोशल साइंसेज के संकाय के माध्यम से पाठ्यक्रमों में योग्यता आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट
बी.ए.(विशेष) पत्रकारिता	• अंग्रेजी में 45% या अधिक अंक और सर्वश्रेष्ठ का संयोजन सूची ए, सूची बी और मास मीडिया अध्ययन से तीन अन्य वैकल्पिक विषय। सूची ए और सूची बी में लोगों के अलावा एक से अधिक विषयों का समावेश कुल पर प्रतिविषय 2.5% की कटौती की जाएगी|.

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट
बी. वोक. वेब डिजाईनिंग	गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ चार विषय का संयोजन: - • अंग्रेजी / हिंदी, गणित और में 40% अंकों या अधिक का कुल योग वेब डिजाइनिंग के बीच दो सर्वश्रेष्ठ अन्य विषयों का संयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा वे जो सूची बी में सूचीबद्ध हैं| • सर्वश्रेष्ठ दो के संयोजन में किसी अन्य विषय को शामिल करने के लिए नेतृत्व करेंगे सर्वश्रेष्ठ चार के कुल में 2% की कटौती।

2.4 वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन संकाय के माध्यम से वाणिज्य में प्रवेश के लिए योग्यता आधारित

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट
बी. कॉम. ऑनर्स	अतिरिक्त पात्रता मानदंड गणित / व्यावसायिक गणित में 50% या अधिक अंक गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ चार विषय का संयोजन: • अंग्रेजी / हिंदी में 60% या अधिक का कुल और सबसे अच्छा संयोजन निम्नलिखित विषयों में से तीन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन / वाणिज्य। • अंग्रेजी / हिंदी में 60% या अधिक का कुल और सबसे अच्छा संयोजन निम्नलिखित विषयों में से तीन: गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन / वाणिज्य। • सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची बी के अलावा अन्य किसी भी विषय का समावेश बेस्ट चार के एग्रीगेट पर प्रतिविषय 2.5% की कटौती करेगा|

बी. कॉम.	सर्वश्रेष्ठ चार गणना के लिए विषय का संयोजन: - • अंग्रेजी/हिंदी में 60% या अधिक का कुल और सबसे अच्छा संयोजन निम्नलिखित विषयों में से तीन गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य। • सूची बी से ऊपर उल्लिखित के अलावा किसी भी विषय का समावेश सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन पर प्रतिविषय 1% की कटौती होगी कुल, 2% की अधिकतम शुद्ध कटौती के साथ। •सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में सूची बी के अलावा अन्य किसी भी विषय का समावेश बेस्ट चार के एग्रीगेट पर प्रतिविषय 2.5% की कटौती करेगा|

2.5 कंप्यूटर संकाय के और गणितीय विज्ञान संकाय के माध्यम से पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता के आधार पर प्रवेश।

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन** **मेरिट लिस्ट**
बी.एस. सी., कंप्यूटर साइंस	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - गणित में60% या अधिक अंक गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ चार विषय का संयोजन: - • अंग्रेजी में 60% या उस से अधिक अंक,गणित और भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान सर्वश्रेष्ठ दो विषयों में से कोई एक | अथवा • अंग्रेजी, गणित और दो में 60% या अधिक अंकों का एककुल विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई) सूची बी समुच्चय में 1% प्रतिविषय की कटौती के साथ)

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट**
बी.एस. सी. ऑनर्स गणित	अतिरिक्त पात्रता मानदंड गणित में 60% या अधिक अंक गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ चार विषय का संयोजन: - सूची ए 1 से एक भाषा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना| गणित और सूची बी से दो विषयों।

2.6 विज्ञान संकाय के माध्यम से पाठ्य क्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता-आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	**अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट लिस्ट**
बी.एस. सी. जीव विज्ञान/प्राणिशास्त्र	अतिरिक्त पात्रता मानदंड ए) अंग्रेजी में 50% या अधिक अंक (बी) भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / जैव रसायन / जैव प्रौद्योगिकी में 60% या अधिक अंक।
बी.एस. सी. रसायन, भौतिकी	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - (ए) अंग्रेजी में 50% या अधिक अंक (बी) भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 60% या अधिक अंक
बी.एस.सी. प्रोग्राम फिसिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस	अतिरिक्त पात्रता मानदंड: - अंग्रेजी में 50% या अधिक अंक (बी) भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान में 60% या

	अधिक अंक अतिरिक्त पात्रता मानदंड
बी.एस.सी. प्रोग. लाइफ साइंस	अतिरिक्त पात्रता मानदंड ए) अंग्रेजी में ५०% या अधिक अंक (b) अंकों का एग्रीगेट में 55% या फिजिक्स, के मिस्ट्री जीव विज्ञान / जैव रसायन/ जैव प्रौद्योगि की उस से अधिक ।

2.7. स्नातक मेरिट-आधारित प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश के लिए कटऑफ:

- घोषित किए जाने वाले कम से कम पांचकट-ऑफ।
- प्रत्येक कट- ऑफ के लिए 3 दिन तक विंडोखुली रहेगी|
- 5वीं कट-ऑफ के बाद खाली रह जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस सहित आरक्षित श्रेणियों के लिए विशेष अभियान|

पांचवीं कट-ऑफ के बाद स्पेशल कट-ऑफ

- कॉलेज द्वारा एक विशेष पाठ्य क्रम के लिए विशेष ड्राइव कट-ऑफ प्रवेश अंतिम कट-ऑफ घोषित होगा, तथापि ?, यह भी है कि, अगर एक कॉलेज ने किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए 3 कट-ऑफ घोषित किया था और आगे कोई कट-ऑफ घोषित नहीं किया गया था, तत्पश्चात भी विश्वविद्यालय द्वारा कट-ऑफ के 5 वें दौर को पूरा करने के बाद खाली सीटें हैं, तो कॉलेज के इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए विशेष कट-ऑफ वह होगा जैसा कि 3कट-ऑफ में घोषित किया गया है।
- कॉलेज 5 वीं कट-ऑफ के बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम में खाली रह गई सीटों की संख्या घोषित करेंगे।
- इस विशेष कट-ऑफ के दौरान किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदक को उपलब्ध पाठ्यक्रम (ए) और उपलब्ध कॉलेजों (बी) से अपनी प्राथमिकताएं देनी होगी / चाहिए।
- पाठ्यक्रम और कॉलेजों को विशेषकट-ऑफ के लिए आवंटन सूत्र (न्यूनतम A + मिनट B) का उपयोग करके केंद्रीय रूप से बनाया जाएगा, जहां A पाठ्यक्रम के लिए प्राथमिकता है और B एक कॉलेज को वरीयता, बी पर निर्भर करेगा।

क्योंकि सभी दस्तावेजों को ऑन लाइन सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसलिये कॉलेज अनंतिम प्रवेश देगा। अनंतिम रूप से भर्ती छात्रों को एक सप्ताह के भीतर कॉलेज में आवश्यक अनिवार्यत: मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा फोरेंसिक सत्यापन में असफल होने पर यूजी प्रवेश के अंतिम दिन के बाद, उक्त अनंतिम छात्र का प्रवेश कॉलेज द्वारा रद्द किया जा सकता है।

सभी कॉलेज उन सभी आवेदकों को दाखिला देंगे जो घोषित कट-ऑफ मानदंडों को पूरा करते हैं। कोई भी—आओ पहले पाओ की नीतिन हीं होगी।

प्रत्येक कट-ऑफ की निर्धारित अवधि के बाद देर से आगमन का मनोरंजन नहीं किया जाएगा।

-ऑफ लिस्ट के योग्य आवेदक, वर्तमानकट-ऑफ के तीसरे दिन के अंतिम घंटे में प्रवेश के लिए रिक्त सीटों की उपलब्धता के अधीन होंगे|

- आवेदक को शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर एक लिंक प्राप्त होगा, केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि संस्थान प्रमुख द्वारा प्रवेश की स्वीकृति के बाद 24 घंटे के भीतर विलंब शुल्क के बिना शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में पावती पर्ची असर लेन देन आईडी, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग विवरण और लेन देन की तारीख संदर्भ को संभल कर रखें ।फीस के सफल भुगतान पर, आवेदक को उक्त कॉलेज में अनंतिम प्रवेश दिया जाता है।

बधाई हो!

अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनंतिम छात्र हैं, जो आपके सभी दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सभी पात्रता और योग्यता मानदंडों को पूरा करते है।

सलाह: कृपया आप अपने प्रवेश को रद्द करने से पहले सुनिश्चित करें कि कॉलेज में कट –ऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करलें | एक बार प्रवेश रद्द होने के बाद, आपको किसी भी स्थिति में दो बारा प्रवेश नहीं दिया जा सकता है जब तक आप अगले कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित नहीं करते हैं।

- जब कोई आवेदक अपने पिछले प्रवेश कोकट-ऑफ सूची में रद्द कर देता है, तो वापस की गई शुल्क राशि डैश बोर्ड के वॉलेट अनुभाग में दिखाई देगी। प्रवेश रद्दीकरण के लिए, 1000 शुल्क (केवल एक हजार रुपए) की कटौती की जाएगी और यह वापस की गई राशि में परिलक्षित होगी जो वालेट में दिखाई देगी।

प्रतिकट-ऑफ सूची में केवल एक रद्दीकरण की अनुमति है। निरस्तीकरण की संख्या **(n-1)** तक सीमित रहेगी, जहां कट-ऑफलिस्ट की कुल संख्या **n** है।

- प्रवेश स्वीकृत होने के बाद जब आवेदक प्रवेश शुल्क का भुगतान करता है,, प्रवेश शुल्क स्वतः समायोजित हो जाएगा और आवेदक को केवल शेष शुल्क का भुगतान करना होगा यदि यह पिछले कॉलेज में पहले से भुगतान की गई फीस से अधिक है। यदि बाद वाले कॉलेज में शुल्क कम है, तो प्रवेश के बंद होने के बाद शेष राशि आवेदक के खाते में या कॉलेज / विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवेदक द्वारा घोषित खाते में वापस कर दी जाएगी।

अतिरिक्त सूचना

अनु. जाति. /अनु. जन. जाति. / ओ.बी.सी. / ई, डब्लू, एस, / पी. डब्लू. डी./ सी. डब्लू. / क. एम. आवेदक को पात्रता प्रतिशत में छूट हैं। अधिक विवरण के लिए अनुभाग 4 और 5 देखें।

कुछ कॉलेज कुछ पाठ्यक्रमों में महिला आवेदकों के लिए 1% (कट-ऑफ पर) रियायत प्रदान करते हैं (अनुबंध III देखें)।

सीडब्ल्यू आवेदकों को उनके संकेतित पाठ्यक्रम और कॉलेज की प्राथमिकताओं के आधार पर योग्यता के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। अनुसूची के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

एक बार आवेदक को प्रवेश मिल जाने के बाद, उन्हें एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, कि मैं विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा निर्धारित सभी नियमों और नियमों का पालन करूँगा ।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस बुलेटिन में अनुलग्नक XIII में दिए गए विश्वविद्यालय के सभी सम्बंधित अध्यादेशों को स्वयं पढ़ें और उनसे परिचित हों |

3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण

अनारक्षित श्रेणी) यूआर (सीटों के लिए मेरिट सूची में मेरिट के क्रम में सभी आवेदक शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, मेरिट सूची में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस आवेदक भी शामिल होंगे, भले ही वे श्रेणी के मानदंड को पूरा करते हों।

किसी भी आवेदक को) यूआर(सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची से केवल इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आता है या उसने आवेदन किया है। ऐसे आवेदक को यूआर) सामान्य(श्रेणी के तहत, साथ ही आरक्षित श्रेणी के तहत विचार करने का हकदार है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस आवेदकों को छोड़कर, मेरिट के क्रम में (यूआर)सामान्य श्रेणी की सीटों पर प्रवेश सख्ती से होगा।

श्रेणी / जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी आवेदक / छात्र के साथ भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले आवेदकों को अपने नाम से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. 1अनुसूचित जाति) एससी (और अनुसूचित जनजाति) एसटी (के आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण

- सीटों की कुल संख्या का22 . 5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अनुसूचित जाति के लिए15 % और अनुसूचित जनजाति के लिए7 ½%, यदि आवश्यक हो तो विनिमेय (से संबंधित आवेदकों के लिए आरक्षित है।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेजों की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।

- कॉलेज शिक्षा के माध्यम के आधार पर किसी भी एससी / एसटी आवेदक को प्रवेश से मना नहीं करेंगे। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को संबोधित किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदान का उपयोग करके कॉलेज द्वारा उपचारात्मक) रेमेडियल(कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

- न्यूनतम अंकों में5 % की सीमा तक छूट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों को उनकी पात्रता और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए दी जाएगी।

- 5% छूट देने के बाद, आरक्षित सीटें अभी भी खाली हैं, आगे की सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक छूट दी जाएगी।) एसी रिज़ॉल्यूशन ए88 , 14.6.1983) (ईसी रिज़ॉल्यूशन 157, 24.12.2001)। एससी / एसटी आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना सभी कॉलेजों /विभागों के लिए अनिवार्य है। इन मामलों में योग्यता पास प्रतिशत है।

निम्नलिखित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सशक्त हैं:

(क) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / एडीएल। डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(ग) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं।

(घ) उप-क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र के अधिकारी जहां आवेदक और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

(ड) प्रशासक / सचिव से प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)।

आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति / प्राधिकारी से एससी / एसटी प्रमाणपत्र किसी भी मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक **SC** या **ST** से संबंधित है, तो आवेदक की जाति / जनजाति को भारत सरकार की उपयुक्त अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए: (ए) उसका / उसकी जाति / जनजाति का नाम (ख) आवेदक एससी या एसटी (ग) जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आवेदक के सामान्य निवास स्थान से संबंधित है, और (डी)) उपयुक्त सरकार। भारत की अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति / जनजाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित है।

यदि आवेदक के पास पंजीकरण / आवेदन के समय उनके एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो वे एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को वैध मूल एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना होगा।

हालाँकि, यदि कोई **SC** / **ST** आवेदक किसी अन्य श्रेणी (उदाहरण के लिए: **PwD** / कर्मचारी वार्ड, आदि) के तहत प्रवेश चाहता है, तो आवेदक को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

नोट: ओपन मेरिट (अनारक्षित) के तहत प्रवेश पाने वाले एससी / एसटी आवेदकों को आरक्षित कोटे अर्थात 22.5% (एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%) में शामिल नहीं किया जाएगा,

3. 2अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी, गैर-क्रीमी लेयर , केंद्रीय सूची (के लिए सीटों का आरक्षण

- 27%सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी) (गैर-क्रीमी लेयर , केंद्रीय सूची (से संबंधित आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी।

- एक ओबीसी आवेदक को प्रवेश देने के समय, कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है) ओबीसी की स्थिति ओबीसी की केंद्रीय) भारत सरकार (सूची के आधार पर निर्धारित की जानी है(। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के लिए वेबसाइट http://ncbc.nic.in/ पिछड़े वर्गों / index.html पर उपलब्ध है।(

- प्रमाण पत्र में आवेदक की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए) डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या36012 /22/93-एस्टीटी में उल्लिखित एक प्राधिकरण द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर की स्थिति।) एससीटी (दिनांक15 .11.1993)।

- ओबीसी आवेदक जो नॉन-क्रीमी लेयर के हैं और जिनकी जाति में दिखाई देता है केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची, के तहत प्रवेश के लिए विचार करने योग्य होगी । ओबीसी श्रेणी) डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या36036 /2/2013-अनुमान के अनुसार आवेदकों की स्थिति creamnon-creamy परत के संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि।) Res- I) 31मार्च2016)। गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता वित्तीय वर्ष2018 - 2019के लिए होगी, जिसे 31 मार्च, 2019के बाद जारी किया जाएगा।

- यदि आवेदक के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष2018 - 2019का ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र नहीं है, तो आवेदक पहले जारी किए गए) पुराने (ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र या पावती पर्ची को अपलोड कर सकता है । हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हालिया वित्तीय वर्ष) 2018-19 (ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र का प्रस्तुत करना होगा। इस अतिरिक्त प्रमाण पत्र में पहले से जारी मूल जाति प्रमाण पत्र के ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र में आवेदक का संदर्भ होना चाहिए।

- ओबीसी आवेदकों को उक्त पाठ्यक्रम की न्यूनतम पात्रता के अंकों में10 % की छूट दी जाएगी और प्रवेश प्रवेश परीक्षा के लिए / यूआर श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों के 10% की छूट दी जाएगी।

• यह ओबीसी आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेजों की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

3. 3आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) ईडब्ल्यूएस (के लिए आरक्षण नीति

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, संदर्भ संख्या Aca। ईडब्ल्यूएस / 2019 / 63दिनांक 29 मार्च 2019 और संदर्भ संख्या Aca का । / आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)ईडब्ल्यूएस (श्रेणी के लिए ईडब्ल्यूएस / 2019/101 दिनांक 15 मई 2019 का आरक्षण, विश्वविद्यालय विभागों / केंद्रों / कॉलेजों ने इस शैक्षणिक वर्ष, 2019से समान प्रवेश के लिए10 % सीटें आरक्षित की हैं।2019- 20ऐसे आवेदकों की पात्रता उपरोक्त सूचनाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर तय की जाएगी।

4. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडब्ल्यूडी) सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों / विधवाओं के लिए; कश्मीरी प्रवासियों; जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम की विशेष छात्रवृति; नामांकित सिक्किम के छात्र; वार्ड कोटा

4.1 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण)पीडब्ल्यूडी(

दिव्यांग अधिनियम, 2016के अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत)5 (%से कम सीटें आरक्षित नहीं हैं। बेंचमार्क डिसएबिलिटी के साथ का अर्थ है, एक व्यक्ति जिसकी निर्दिष्ट विकलांगता चालीस प्रतिशत)40 (%से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित है प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विकलांगता अधिनियम, 1995के साथ पूर्ववर्ती व्यक्ति, जिसके तहत प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पहले प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी आवेदकों को अर्हता परीक्षा में पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता और प्रवेश परीक्षा में 5% की सीमा तक सीटें भरने तक छूट दी जाएगी।

दिव्यांगता अधिनियम, 2016 के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगों की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियां]विकलांग अधिनियम के अधिकार अधिनियम, 2016की धारा 2के खंड)zc) देखें [आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र माना गया है।

4.2 सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों / विधवाओं के लिए आरक्षण) सीडब्ल्यू(

1. सभी कॉलेजों में पाठ्यक्रमवार इस श्रेणी के तहत आवेदकों के लिए पांच प्रतिशत) 5 (%सीटें आरक्षित हैं।

2. ऐसे सभी आवेदकों को उचित लेटरहेड पर निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी द्वारा जारी किए जाने वाले संलग्न प्रारूप नमूने में शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा:

)क (सचिव, केंद्रीय विद्यालय बोर्ड, दिल्ली।

)ख) सचिव, राज्य ज़िलासैनिक बोर्ड।

)ग (प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड कार्यालय।

)घ) प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट

)ड (गृह मंत्रालय) वीरता पुरस्कार की प्राप्ति में पुलिस कार्मिक के लिए(

सशस्त्र बलों के बच्चों / विधवाओं को) प्राथमिकता I से IX) प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में पैरा-सैन्य कार्मिक) केवल प्राथमिकता I से V तक (सहित :प्रवेश की पेशकश की जा सकती है

प्राथमिकता I

कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं / वार्ड;

प्राथमिकता II

रक्षा कार्मिकों के वार्डों को कार्रवाई में अक्षम कर दिया गया और सैन्य सेवा के लिए विकलांगता के साथ सेवा से बाहर कर दिया गया।

प्राथमिकता III

रक्षा कर्मियों की विधवाओं / वार्डों की शांति के समय मृत्यु हो गई

प्राथमिकता IV

सैन्य सेवा के कारण;

रक्षा कार्मिक की वार्ड सेवा में अक्षम हो गई और विकलांगता के साथ बाहर निकल गई

सैन्य सेवा के कारण; पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवा करने वाले / पूर्व सैनिकों की

प्राथमिकता v वार्ड

वीरता पुरस्कारों की प्राप्ति;

i。 परमवीर चक्र

ii अशोक चक्र

iii महावीर चक्र

iv कीर्ति चक्र

v वीर चक्र

vi शौर्य चक्र

vii गैलेंट्री के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

viii सेना पदक) वीरता(, नौ सेना पदक) वीरता(, वायु सेना पदक) वीरता(

ix उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर प्रस्तावित किए गए अवार्ड

x वीरता के लिए पुलिस पदक

VI प्राथमिकता

भूतपूर्व सैनिकों के वार्ड

VII प्राथमिकता

कार्मिकों की पत्नियाँ

i रक्षा कर्मी कार्रवाई में अक्षम हो गए और सेवा से बाहर हो गए।

ii रक्षा कर्मियों को सेवा में अक्षम कर दिया गया और सैन्य सेवा के लिए विकलांगता के साथ बाहर कर दिया गया

iii पूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी जो गैलेंट्री अवार्ड्स की प्राप्ति में हैं।

VIII प्राथमिकता

सेवारत कार्मिक की प्राथमिकता

IX प्राथमिकता

कार्मिकों की पत्नियाँ

4.3 कश्मीरी प्रवासियों) सुपरन्यूमेरी सीटें (का आरक्षण

1. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्ड) पुत्र / पुत्री(, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

2. कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए सभी कॉलेजों में5 % सीटें आरक्षित हैं।

3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र , संभागीय आयुक्त / राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों को प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ।

4. कश्मीरी प्रवासियों के वार्डों का प्रवेश कॉलेजों द्वारा घोषित किए जाने वाले कट-ऑफ पर आधारित होगा। अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम कट-ऑफ अंकों में अधिकतम10 % की रियायत कश्मीरी प्रवासियों को दी जाएगी।

5. इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

4.4 जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चुने गए आवेदकों को सीधे कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है।

4.5 सिक्किम के छात्रों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम सरकार द्वारा नामित छात्र सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा, जहाँ छात्रावास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं) AC रिज़ॉल्यूशन 51 दिनांक 05/06/ 1980और 122 दिनांक17 /12/1990)। प्रवेश के लिए सिक्किम के छात्रों के साथ-साथ संबंधित महाविद्यालयों में छात्रावास का आवंटन कुलपति अपने विवेक से करते हैं। इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है।

इन नामांकित सीटों की संख्या नीचे दी गई है:

कोर्स	**सीटें**
बी ए) प्रोग्राम(	3
बी ए) ऑनर्स(	1
बीकॉम4	4
बीकॉम) ऑनर्स(	2
बीएससी फिजिकल विज्ञान / एप्लाइड फिजिकल विज्ञान	2
बीएससी जीवन विज्ञान / एप्लाइड लाइफ साइंसेज	2
कुल	14

4.6 वार्ड कोटा के लिए सीटें

विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्थायी--सेवा कर्मचारियों) शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों, (के वार्डों के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश, (जहां प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है, को छोड़कर,)निम्नलिखित मानदंड के अनुसार बनाया जाता है।:

1. कॉलेज में स्थायी कर्मचारियों के वार्ड) बच्चों (का प्रवेश, पाठ्यक्रम और विषय में अधिकतम साठ छात्रों की प्रत्येक इकाई के लिए एक सीट के अधीन हैं। कर्मचारी वार्ड को अन्य आवेदकों की तरह पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा ।

2. विश्वविद्यालय / अन्य कॉलेजों) शिक्षण / गैर-शिक्षण (के स्थायी-सेवा कर्मचारियों के वार्ड) पुत्र / पुत्री (के प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए सीटों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी) शिक्षण के लिए तीन और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए तीन (इस तरह के आवेदकों के बीच योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में अधिकतम साठ छात्रों की प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम एक सीट के अधीन है और पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

3. उपरोक्त मानदंडों पर प्रवेश सामान्य शक्ति से अधिक और सीटों के विरुद्ध होगा।

4. वार्ड कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। उन्हें उस सूची से कॉलेजों को चुनने की आवश्यकता है जिसके लिए वे पंजीकरण के समय आवेदन करना चाहते हैं। वार्ड कोटा के तहत प्रवेश की अनुसूची और प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।

5. पाठ्येतर और खेल कोटा) सुपरन्यूमेरी सीट्स(।

कॉलेजों के लिए खेल और ईसीए सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है और सभी छात्रों को इंटर-क्लास प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों की शुरुआत करके खेल और अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए कम से कम1 % (कॉलेज की कुल सेवन

क्षमता का (और खेल के सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य है, ECA और स्पोर्ट्स के लिए कुल मिलाकर 5% (कॉलेज की कुल सेवन क्षमता का(। सीटे होंगी ।

ECA और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या, उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेजों की आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।

अनुसूची) प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों सहित (और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।

ईसीए और खेल श्रेणियों के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

खेल और ईसीए के लिए प्रवेश:

- प्रवेश केवल प्रमाण पत्रों के आधार पर केंद्रीय रूप से किया जाएगा।
- खेल या ईसीए के लिए कोई परीक्षण नहीं होगा
- प्रत्येक ईसीए और खेल के लिए न्यूनतम1 % सीटें; कॉलेज के कुल सेवन के5 % की सीमा के अधीन
- पाठ्यक्रम-वार चयन का कोई प्रतिबंध नहीं

ई सी ए श्रेणी के माध्यम से प्रवेश

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में ECA श्रेणी के माध्यम से प्रवेश के तहत सभी चौदह श्रेणियों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों (ECA) में शामिल करने का निर्णय लिया है।

(ii) आवेदक अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

(iii) ईसीए के तहत प्रवेश आवेदकों के मेरिट / भागीदारी प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को पूर्ववर्ती तीन वर्षों (1 मई 2017 - 30 अप्रैल 2020) के अधिकतम पांच प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। नामांकन के लिए अयोग्य प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) आवेदक द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की अधिकतम 100 अंकों की जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में 20 अंक और उससे अधिक स्कोर करने वाले आवेदक ईसीए के आधार पर प्रवेश की अंतिम मेरिट सूची के लिए पात्र होंगे। ईसीए श्रेणी के तहत अंक उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए तीन सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्रों में दिए गए कुल अंकों के योग के आधार पर दिए जाएंगे।

(v) अकादमिक मेरिट में 15% से अधिक रियायत नहीं होगी ,अंतिम प्रासंगिक कट-ऑफ से अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड के अधीन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज द्वारा विशिष्ट रियायत घोषित की जाएगी।

(vi) मेरिट / भागीदारी ECA प्रमाणपत्र के अंकन के मानदंड नीचे दिए गए हैं। विस्तृत ब्रेक-अप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(vii) ईसीए श्रेणी के तहत सभी प्रवेशित उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक जांच की जाएगी।

श्रेणी	**अधिकतम अंक**
प्रतिभागिता /प्रतियोगिता पुरस्कार	44
अभ्यास/ परीक्षाएँ	28
कार्यशालाएँ	16
प्रदर्शन /प्रकाशन कार्य /प्रदशनी	12
कुल	100

ECA सीट तालिका

S.N.क्रम संख्या	Activity गतिविधि	संख्या
1 क	रचनात्मक गद्य लेखन हिन्दी	2
1 ख	क्रियेटिव राइटिंग इंग्लिश	2
2क	इंडियन क्लासिकल	2
2 ख	इंडियन फोक	2
2 ग	वेस्टर्न	1
2 घ	कोरोयोग्राफी	1
3 क	वाद विवाद (हिंदी)	2
3 ख	डिबेट (अंग्रेजी)	2
4 क	फोटो ग्राफी	2
4ख	फिल्म मेकिंग	1
5 क	स्केचिंक एवं पेंटिंग	2
6 क	इंडियन (क्लासिकल एवं लाइट)	2
6ख	वेस्टर्न (क्लासिकल एवं लाइट)	1
7क	तबला	1
7ख	सितार	1
8क	ड्रमस	1

कॉलेज की ईसीए प्रवेश समिति निम्नानुसार होगी:

चेयरपर्सन: प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नॉमिनी

संयोजक: कॉलेज की सांस्कृतिक समिति

सदस्य / सदस्य: सांस्कृतिक / एनसीसी / एनएसएस समिति

नॉमिनी: स्टाफ काउंसिल का एक संकाय सदस्य

कॉलेज की ईसीए प्रवेश समिति:

आवेदकों के अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों को सत्यापन किया जाएगा

कॉलेज की खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी:

- अध्यक्ष :प्रिंसिपल/प्रिंसिपल नॉमिनी
- संयोजक :शारीरिक शिक्षा शिक्षक ,शारीरिक शिक्षा विभाग
- सदस्य :शारीरिक शिक्षा शिक्षक ,शारीरिक शिक्षा विभाग
- नामांकित :स्टाफ काउंसिल के एक संकाय सदस्य

कॉलेज की खेल प्रवेश समिति:

- आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करें
- आवेदक के मूल योग्यता/सहभागिता खेल प्रमाण पत्र से आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक के अपलोड किए गए योग्यता/सहभागिता खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करें।

खेल के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

संघटक कॉलेज स्नातक पाठ्यक्रमों में खेल के आधार पर प्रवेश के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। वे विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए प्रोफार्मा के अनुसार खेल कोटा)अधिसंख्य (के तहत कुल सीटों की आवश्यकता के साथ-साथ विभिन्न खेल/खेल में स्थिति/स्पर्धा/भार श्रेणी की आवश्यकता के साथ विश्वविद्यालय से पत्राचार करेंगे। कॉलेज को इसकी सूचना अपने कॉलेज की वेबसाइट पर भी देनी चाहिए। आवेदक को यूजी पाठ्यक्रमों के लिए सूचना के बुलेटिन और समय-समय पर जारी अधिसूचना के लिए कॉलेजों/दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना चाहिए।

1. डीयू यूजी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदकों को आर-इक्वेशन किया जाता है।

2. एक आवेदक **अधिकतम तीन /खेलों** में आवेदन कर सकता है।
3.)यूआर/ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस(रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क के अलावा खेल वर्ग में आवेदन करने के लिए 100रुपए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क देनाहोगा।

<u>सुपर श्रेणी :स्पोर्ट्स ट्रायल के बिना सीधे प्रवेश</u>

योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंडों की श्रेणी एक

युवा मामलों और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस)द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित उल्लिखित प्रतियोगिता (एस)में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पॉइंट नंबर II(बी)पर खेल/खेल के लिए खेल परीक्षण के बिना प्रत्यक्ष प्रवेश दिया जाएगा ,जहां संघटक कॉलेजों द्वारा खेल/खेल के लिए आवश्यकता दी गई है ।

a. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी)द्वारा ओलंपिक खेल
b. विश्व चैम्पियनशिप /अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा विश्व कप (आईएसएफ(
c. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ)द्वारा राष्ट्रमंडल खेल
d. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए)द्वारा एशियाई खेल
e. अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों (आईएसएफ)द्वारा एशियाई चैंपियनशिप
f. दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी)द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)
g. अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी)द्वारा पैरालंपिक खेल

व्यक्तिगत खेल ,दोहरे और लड़ाकू खेलों के लिए अंकन एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और टीम खेलों के लिए अंकन विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति के तीन विशेषज्ञों द्वारा अलग से किया जाएगा।

नोट:

1. पात्र आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन विश्वविद्यालय विनियमों के अनुरूप होगा और यह कॉलेज की एकमात्र जिम्मेदारी होगी ।

2. संघटक कॉलेजों को भेजी गई खेल मेरिट सूची में शामिल आवेदक का नाम किसी कॉलेज में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश कॉलेज में एक कोर्स में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।
3. पाठ्यक्रम के आवंटन को कॉलेज की खेल प्रवेश समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है जिसमें शामिल होंगे:

i. अध्यक्ष :प्रिंसिपल/प्रिंसिपल नॉमिनी

ii. संयोजक :शारीरिक शिक्षा शिक्षक ,शारीरिक शिक्षा विभाग

iii. सदस्य :शारीरिक शिक्षा शिक्षक ,शारीरिक शिक्षा विभाग

iv. नामांकित :स्टाफ काउंसिल के एक संकाय सदस्य

4. कॉलेज की खेल प्रवेश समिति:

(a) आवेदक द्वारा अपलोड किए गए आवेदन पत्र को स्क्रीन करें

(b) डीयूएससी द्वारा आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक की मूल योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करें।

5. टाई के मामले में: एक ही खेल/खेल में समान अंक हासिल करने वाले आवेदकों और कॉलेज में समान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र कॉलेज की खेल प्रवेश समिति द्वारा इस प्रकार हल किया जा सकता है:

(a) अधिक अंक हासिल करने वाले आवेदक को उच्च वरीयता दी जाएगी/

(b) यदि समान अंक अभी भी रहतेहैं ,तो सभी आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकता है।

6. योग्यता/सहभागिता खेल प्रमाण पत्र के लिए अंकों के आवंटन से संबंधित शिकायत का निवारण यूजी खेल शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा। खेल प्रमाण पत्र के अंक आवेदक के डैशबोर्ड पर तीन दिनों के

लिए प्रदर्शित किया जाएगा शिकायत दर्ज करने के लिए ,यदि कोई हो । यूजी खेल प्रवेश समिति द्वारा सभी शिकायतों का तीन दिन के भीतर निराकरण किया जाएगा।

7. आवंटित पाठ्यक्रम के साथ खेल प्रमाणित कैट्स के अंक वाले अंतिम रूप से चयनितआवेदकों की सूची तीन दिनों के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी ,ताकि शिकायतों का संज्ञान लिया जा सके , यदि कोई हो । कॉलेज की शिकायत समिति को पात्र आवेदकों को प्रवेश देने से पहले अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करना होगा।

8. कॉलेज खेल के आधार पर प्रवेश देने वाले आवेदकों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

9. खेल के आधार पर अंतिम प्रवेश लेने वाले आवेदक की सूची (सॉफ्ट कॉपी)दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिन के भीतर संघटक कॉलेजों द्वारा डीयूएससी को भेजी जाएगी।

10. आवेदक को अपनी आयु के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए ।

11. खेल परीक्षणों के दौरान आवेदक को हुई किसी भी चोट/हताहत की एकमात्र जिम्मेदारी आवेदक की होगी|

12. प्रवेश के समय आवेदक द्वारा 100रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक उपक्रम प्रस्तुत करना अनिवार्य है ,जिसमें कहा गया है कि वह अपने स्नातक अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए खेलेगा।

खेल के आधार पर प्रवेश के लिए कॉलेज-वार स्थिति / घटना / वजन श्रेणी खेल / खेल की सूची

क्र. म.	खेल	
1.	एथलेटिक्स	4
2.	बॉक्सिंग	6

3.	चेस	3
4.	हैंडबॉल	5
5.	जुडो	6
6.	कबड्डी	3
7.	खो खो	4
8.	टेबल टेनिस	2
9.	टायक्वोंडो	7
10.	वॉली बाल	6

6. विदेशी आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण

1. भारतीय बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके सभी विदेशी आवेदकों सहित सभी विदेशी आवेदकों को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में उनके पंजीकरण/प्रवेश के उद्देश्य से विदेशी छात्र माना जा सकता है और उन्हें विदेशी छात्रों के लिए निर्धारित 5% कोटे के तहत प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है । स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक विदेशी आवेदकों को http://fsr.ud.ac. inविदेशी छात्र रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय 110007 के डिप्टी डीन (विदेशी छात्र रजिस्ट्री(,सम्मेलन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं ।

7 प्रवेश के लिए अहर्ताएं

7. 1क्वालिफाइंग परीक्षाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के उद्देश्य से योग्यता परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 12) या उसके समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उतीर्ण हो।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदकों को बाद के खंडों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाली योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

7. 2आयु आवश्यकता

विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस-1 के अनुसार ,विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु पट्टी नहीं है ,सिवाय उन पाठ्यक्रमों में जहां संबंधित नियामक निकाय जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई(,अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई(,बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई(,नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई(,डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई)शामिल हैं । अपने विनियमों में न्यूनतम आयु आवश्यकता निर्धारित की है ।

(स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए गैप वर्ष (ओं)नहीं होंगे ।(

7. 3तुल्यता मानदंड

भारतीय विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त /मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों के जांच निकायों से संबंधित आवेदकों के संबंध में महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदनों पर कॉलेज/विभाग द्वारा

निम्नलिखित सिफारिशों के संदर्भ में विचार किया जाएगा जैसा कि 13-01. 2005के विश्वविद्यालय परिपत्र पत्र में उल्लेख किया गया है ।

कि भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी द्विपक्षीय समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विभिन्न डिग्रियों को दिल्ली विश्वविद्यालय की इसी डिग्री के समकक्ष माना जाए ,शर्तों के अधीन है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों और आगे के विभागों/कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की अवधि समान है ,उन्हें अपनी संबंधित प्रवेश समितियों के माध्यम से प्रक्रिया विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र /केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की पात्रता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय बोर्ड के वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है ।

जिन छात्रों ने विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्डों की विभिन्न डिग्री/स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है ,उन्हें समतुल्यता समिति द्वारा समय-समयपर पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है दिनचर्या के मामले के रूप में (ग)ऑनसाइड पात्र होंगे। केवल उन्हीं आवेदकों के मामले जो भारतीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आते हैं ,उन्हें व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा ।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश किसी भी बोर्ड/स्कूल द्वारा जारी अनुमानित स्कोर के आधार पर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

7.4 ग्रेड रूपांतरण]एसी संकल्प संख्या 319, डीटी 22.3. 1976के अनुसार[

दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,नई दिल्ली की उच्च माध्यमिक परीक्षा में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ कैंब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र/विदेशी/अफ्रीकी जीसीई/परीक्षा स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा और/या 12वीं कक्षा की परीक्षा में दिए गए ग्रेड प्वाइंट औसत का फार्मूला/तुल्यता।

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम%	ग्रेड	परिणामी प्रतिशत
1	90	एक	90
2	75	बी	75
3	66	सी	60
4	61	D	40
5	57	ई	30
6	51	F	विफल
7	47		
8	40		
9	विफल		

7.4. 1आईबी छात्रों में प्रवेश (आईबी ग्रेड टू मार्क्स स्कीम)

ग्रेड	भारतीय समकक्ष अंक	
7	96-100	मिडपॉइंट 98
6	83-95	मिडपॉइंट 89
5	70-82	मिडपॉइंट 76

4	56-69	मिडपॉइंट 62.5
3	41-55	मिडपॉइंट 48
2	21-40	मिडपॉइंट 30.5
1	1-20	मिडपॉइंट 10.5

7.4.2 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा)छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	प्रतिशत समरूप मार्क रेंज	कैम्ब्रिज	ग्रेड	प्रतिशत समरूप	
		As		रेंज	
*ए	90-100 (Midpoint95)	95		95	
ए	80-89 (Midpoint85)	ए		80-100 (Midpoint 90)	
बी	70-79 (Midpoint75)	बी		70-79 (Midpoint 75)	
सी	60-69 (Midpoint65)	सी		60-69	(Midpoint 65)
डी	50-59 (Midpoint55)	डी		50-59	(Midpoint55)
इ	40-49 (Midpoint45)	इ		40-49	(Midpoint 45)

जहां भी G.C.E. प्रमाण पत्र ग्रेड इंगित करता है ;यह प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के ग्रेड के बराबर माना जाएगा । (ग्रेड रूपांतरण देखें(एचओनोर सी में प्रवेश लेने वालेआवेदकों ने उन्नत स्तर पर विषय उत्तीर्ण किया होगा । भूविज्ञान और मानव विज्ञान ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक ने भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित/जीव विज्ञान से बाहर उन्नत स्तर पर एक विज्ञान विषय उत्तीर्ण किया होगा ।

भौतिकी/रसायन विज्ञान में ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लेने वाले आवेदक को उत्तीर्ण होना चाहिए :साधारण स्तर पर गणित और अतिरिक्त गणित और उन्नत स्तर पर कम से कम एक विषय (1)शुद्ध गणित (2)एप्लाइड गणित (3)गणित (शुद्ध और एप्लाइड)और (4)आगे ,गणित या साधारण स्तर पर अतिरिक्त गणित और उन्नत स्तर पर एक विषय ।

कैंब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के नामकरण को **कैंब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन** 2017 से बदल दिया गया है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10+ 2परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10+ 2पास करने वाले आवेदकों के बराबर भी व्यवहार करेगा और विश्वविद्यालय के यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होगा ।

इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश कार्यों के लिए प्रतिशत यूनिफॉर्म मार्क का उपयोग किया जाएगा । ग्रेड को उन अंकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा जहां प्रतिशत समान अंक उपलब्ध हैं ।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ-साथ व्यक्तिगत विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है ,तो अंकों को ध्यान में रखा जाएगा ।

7.5 पुनर्चेकिंग/पुनर्मूल्यांकन

कॉलेज उन आवेदकों के प्रवेश पर विचार करेंगे जिनके अंक प्रवेश की निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित बोर्ड द्वारा पुनर्चेक/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में बढ़े हुए हैं बशर्ते कि ऐसे आवेदक प्रवेश के लिए निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करें और पाठ्यक्रम/कॉलेज में सीटें उपलब्ध हों । कॉलेज को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर सारी जानकारी अपडेट करनी होगी।

8. प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदकों को प्रवेश के समय स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेटों के साथ मूल में निम्नलिखित दस्तावेजों का उत्पादन करना होगा:

1 कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र (अंकपत्र या प्रमाण पत्र)जन्म तिथि और माता-पिता के नाम का संकेत देता है *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/केएम के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्रों पर दिखाई देने वाले नामों से मेल खाने चाहिए ;इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए ।

2 कक्षा 12 वीं अंकपत्र।

3 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/केएम सर्टिफिकेट (आवेदक के नाम पर)सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया। (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/केएम के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के क्वालीफाइंग प्रमाण पत्रों पर दिखाई देने वाले नामों से मेल खाने चाहिए ;इसी तरह उनके माता पिता के एनएम्स प्रमाण पत्र केदोनों सेट में मैच चाहिए)।

4 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)प्रमाण पत्र (आवेदक के नाम पर)और जिसमें जाति http://ncbc.nic.inद्वारा जारी ओबीसी केंद्रीय सूची में है।(ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक का नाम आवेदक के नाम से मेल होना चाहिए क्योंकि यह उनके संबंधित स्कूल बोर्ड क्वालीफाइंग प्रमाण पत्रों पर दिखाई देता है;इसी तरह उनके माता पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेट में मैच चाहिए)।

5 आवेदक को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकता है। (इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उन नामों से मेल खाने चाहिए जो उनके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र पर दिखाई देते हैं; इसी तरह उनके माता पिता के एनएम्स प्रमाण पत्र केदोनों सेट में मैच चाहिए)।

9. प्रवेश शिकायत समितियां

एक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति होगी ,जो डीन छात्र कल्याण कार्यालय में स्थित है । प्रत्येक कॉलेज की अपनी शिकायत समिति होगी। आवेदक शिकायत। टैब के तहत विश्वविद्यालय स्नातक पोर्टल पर

दिए गए लिंक का उपयोग करके एक ईमेल भेज सकते हैं । कॉलेज शिकायत समिति के सदस्यों के नाम संबंधित कॉलेज के कॉलेज नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे । प्रवेश को लेकर शिकायत रखने वाले आवेदकों को सबसे पहले कॉलेज की शिकायत समिति से संपर्क करना चाहिए। यदि उचित समय के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है ,तो आवेदक केंद्रीय प्रवेश शिकायत समिति से संपर्क कर सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति//अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस की शिकायतों की जांच के लिए शिकायत उप समिति होगी और एक अन्य दिव्यांग आवेदकों के लिए। प्रत्येक कॉलेज में एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से शिकायत समिति भी होगी ,जिसमें संपर्क अधिकारी के साथ तीन सदस्य इसके संयोजक होंगे। कॉलेजों में आवेदकों की जरूरतों/प्रश्नों को सुविधाजनक बनाने और उनका समाधान करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए शिकायत समिति के सदस्यों का नाम ,संपर्क नंबर और ईमेल एड्रेस प्रदर्शित करेगा ।

एनेक्सचर X : प्रवेश वापसी/रद्द होने के कारण शुल्क वापसी के लिए नियम

क्र. सं.	शुल्क वापसी के कारण	शुल्क कितनी मात्रा में वापस होगा|
1	जब कोई छात्र अंतिम तिथि तक अपना प्रवेश रद्द करने के लिए आवेदन करता है|	शुल्क से 1000/- रुपए की कटौती और पूरी परीक्षा शुल्क|
2	जब विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन की ओर से अनजाने में त्रुटि/चूक/ से प्रवेश हो जाता है|	पूरा शुल्क और पूरा परीक्षा शुल्क|
3	जब छात्र की तरफ़ से की गई त्रुटी/ गलती या तथ्यों को	कोई शुल्क वापस नहीं किया

	छिपाने/ मिथ्या करने, गलत/नकली प्रमाण पत्र (ओं) द्वारा भ्रामक जानकारी देने की वज़ह से नामांकन रद्द होना|	जाएगा|
4	जब कोई छात्र वित्तपोषित पाठ्यक्रम के लिए अंतिम तिथि या उससे पहले अपना नामांकन रद्द करने के लिए आवेदन करता है|	शुल्क से 1000/- रुपए कटौती और पूरी परीक्षा शुल्क|
5	यदि किसी छात्र का नामांकन के समय सीमा के अंदर या अंतिम तिथि से पूर्व रद्द हो जाता है|	पूरा शुल्क सहित परीक्षा शुल्क उसके माता-पिता को वापस किया जाएगा|

एनेक्सचर XI: **पीसीएम/ पीसीबी/ सर्वश्रेष्ठ चार की गणना के लिए उदाहरण**

उदाहरण 1:	**उदाहरण** 2: यदि एक आवेदक ने स्कोर किया है: भौतिकी 88 (थ्योरी 45, **IA** 14, प्रैक्टिकल 29; अधिकतम अंक थ्योरी 56, **IA** 14, प्रैक्टिकल 30), रसायन विज्ञान 92 (थ्योरी 48, **IA** 14, प्रैक्टिकल 30; अधिकतम अंक थ्योरी 56, **IA** 14, प्रैक्टिकल 30), अंग्रेजी 90 और जीवविज्ञान 95 (थ्योरी 51, **IA** 14, प्रैक्टिकल 30 अधिकतम अंक थ्योरी 56, **IA** 14, प्रैक्टिकल 30) गणित 92. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थ्योरी में 70% से कम है तो इसे 70:30 में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भौतिकी के लिए, यह 56.25 +29 = 85.25 है;

यदि एक आवेदक ने स्कोर किया है: भौतिकी 90 (थ्योरी 50, प्रैक्टिकल 40; अधिकतम अंक थ्योरी 60, प्रैक्टिकल 40), रसायन विज्ञान 91 (थ्योरी 52, प्रैक्टिकल 39; अधिकतम अंक थ्योरी 60, प्रैक्टिकल 40), अंग्रेजी (90) और गणित (95) शारीरिक शिक्षा (92). भौतिकी और रसायन विज्ञान की थ्योरी में 70% से कम है तो इसे 70:30 में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भौतिकी के लिए, यह 58.33 +30 = 88.33 है; रसायन विज्ञान के लिए, यह 60.66 +29.25 = 89.91 है। इसलिए, पीसीएम में कुल अंक: 88.33+89.91+95=273.24 = 91.08% और पीसीएमई में: 88.33 +89.92+95+90 = 363.25 = 90.81% है।	रसायन विज्ञान के लिए, यह 60+30 = 90 है; जीव विज्ञान के लिए, यह 63.75 + 30 = 93.75 है। पीसीबी 89.77% है; पीसीएम 89.19% है|

उदाहरण 3:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया हैं: एकाउंटेंसी (90), कानूनी अध्ययन (92), अंग्रेजी (88) और अर्थशास्त्र (94) चार विषयों में कुल अंक हैं

90+92+88+94=364, प्रतिशत 91% है।

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 91% -1% = 90% है| (सर्वश्रेष्ठ चार में एकाउंटेंसी को शामिल करने के लिए 1% की कटौती)।

बीए (ऑनर्स)अर्थशास्त्र के लिए अयोग्य

(गणित की पढ़ाई नहीं की और न ही पास किया|)

बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान 91% -1%= 90% है| (सर्वश्रेष्ठ चार में राजनीतिक शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)

उदाहरण 4:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है: भौतिकी (96), रसायन विज्ञान (92), अंग्रेजी (90) और गणित (94), अर्थशास्त्र (83).

केस 1: चार विषयों में कुल अंक

96+92+90+94=372, प्रतिशत 93% है। इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) इतिहास 93% -1% =92% है|

(इतिहास को सर्वश्रेष्ठ चार में शामिल नहीं करने के लिए 1% कटौती)|

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 93% - 2% = 91% है| (भौतिकी और रसायन विज्ञानं को सर्वश्रेष्ठ चार में शामिल करने के लिए दोनों में 1% की कटौती)|

बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र 93%-1% = 92% (अर्थशास्त्र को शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)|

केस 2: चार विषयों में कुल अंक

96+90+94+83=363, प्रतिशत 90.75% है।

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र 90.75% है

केस 1 और केस 2 की तुलना, सर्वश्रेष्ठ चार के

लिए बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र 92% है|

उदाहरण 6:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है: एकाउंट्स (90), व्यवसाय अध्ययन (92), अंग्रेजी (88) और गृह विज्ञान (94), गणित (85)।

चार विषयों में कुल अंक

90+92+88+94=364, प्रतिशत 91% है।

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान 91% - 1% = 90% है| (मनोविज्ञान को शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)

बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र 92+88+94+85=359 हैं,

प्रतिशत 89.75% - 1% = 88.75% है| (अर्थशास्त्र को शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)।

उदाहरण 5:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है: एकाउंट्स (88), अंग्रेजी (92), पंजाबी (90), गणित (82) और वेब डिजाइनिंग (96)।

केस 1: चार विषयों में कुल अंक

88+92+90+96=366, प्रतिशत 91.5% है।

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) इतिहास 91.5% -1% -2.5% =

88% है| (इतिहास को शामिल नहीं करने के लिए 1%

कटौती और वेब डिजाइनिंग को शामिल करने के

लिए 2.5% की)

बीए (ऑनर्स) पंजाबी 91.5% - 2.5% = 89% है|

(वेब डिजाइनिंग को शामिल करने के लिए 2.5% की

कटौती)

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 91.5% - 1% -2.5% =88% है|

(एकाउंट्स के लिए 1% की कटौती और वेब

डिजाइनिंग के लिए 2.5% की)

केस 2:

चार विषयों में कुल अंक

88+92+90+82=352, प्रतिशत 88% है।

प्रभावी प्रतिशत: बीए (ऑनर्स)

पंजाबी 88% है

केस 1 और **केस 2** की तुलना, सर्वश्रेष्ठ चार के लिए

बीए (ऑनर्स) पंजाबी 89% है।

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 88%-1% = 87% (सर्वश्रेष्ठ चार में एकाउंट्स को शामिल करने के लिए 1% की कटौती)

केस 1 और **केस** 2 की तुलना, सर्वश्रेष्ठ चार के लिए

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 88% है।

उदाहरण 7:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है: भौतिकी

(85), रसायन विज्ञान **(92),** अंग्रेजी कोर **(90),** जीव विज्ञान **(85)** और गणित (75)।

सर्वश्रेष्ठ चार में कुल अंक:

85+92+85+90=352, प्रतिशत **88%** है|

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी **88% - 2% = 86%** है|

(फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सहित

उदाहरण 8:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है: अंग्रेजी ऐच्छिक **(92),** इतिहास **(65),** राजनीति विज्ञान **(85),** भूगोल **(89)**

और गृह विज्ञान **(90)**।

चार विषयों में कुल अंक

92 +85+89+90=356, इतिहास को छोड़कर 89% है।

इसके लिए प्रभावी प्रतिशत:

बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी **89% -1% = 88%** है| (गृह विज्ञान को शामिल करने के लिए **1%** की कटौती)

बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान **89%** है

अधिकतम कटौती 2% है)।

बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान 88%- 1% = है|

87% (राजनीतिक विज्ञानं को शामिल नहीं करने

के लिए 1% की कटौती)।

उदाहरण 9:
यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है, भौतिकी (96) रसायन विज्ञान (92), अंग्रेजी कोर (90) और
गणित (94)।

कुल अंक 96+92+90+94=372, प्रतिशत 93% है|
दोनों के लिए प्रभावी प्रतिशत B.Com (ऑनर्स) B.Com (प्रोग्राम)93-2% = 91% (भौतिकी और रसायन विज्ञान सहित 2% की कटौती)

उदाहरण 11:
यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है, एकाउंटेंसी (88) इंग्लिश कोर (92), पंजाबी ऐच्छिक (90),
गणित (82) और वेब डिजाइनिंग (96)।
B.Com (ऑनर्स) और B.Com (प्रोग्राम) के लिए प्रभावी प्रतिशत:
केस 1: कुल अंक 88+92+90+96=366,

बीए (ऑनर्स) इतिहास 89- 1% = 88% है|(इतिहास को शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)

बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान 89-1% = 88% (मनोविज्ञान को शामिल नहीं करने के लिए 1% की कटौती)

बीए (ऑनर्स) दर्शन 89% है|

उदाहरण 10:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है, एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्टडीज (92), इंग्लिश कोर (88) और अर्थशास्त्र (94)।
प्रतिशत कुल अंक 90+92+88+94=364, प्रतिशत 91% है।
B.Com (ऑनर्स) के लिए अयोग्य है।
B.Com (प्रोग्राम) के प्रभावी प्रतिशत 91% है|

उदाहरण 12:

यदि किसी आवेदक ने स्कोर किया है, एकाउंटेंसी (90)
बिजनेस स्टडीज (92), इंग्लिश कोर (88), गृह विज्ञान (94) और गणित (85)।
B.Com (ऑनर्स) और B.Com (प्रोग्राम) के लिए प्रभावी प्रतिशत:
केस 1: कुल अंक 90+92+88+94=364, प्रतिशत

प्रतिशत 91.5% है।

प्रभावी प्रतिशत 91.5 - 1% - 2.5% = 88 (पंजाबी ऐच्छिक को शामिल करने के लिए 1% कटौती

और वेब डिजाइनिंग को शामिल करने के लिए 2.5% की)

केस 2: कुल अंक 88+92+82+96= 358, प्रतिशत 89.5% है

प्रभावी प्रतिशत 89.5% -2.5% = 87% है| (वेब डिजाइनिंग को शामिल करने के लिए 2.5%

की कटौती)

केस 3: कुल अंक 88+92+82+90= 352, प्रतिशत 88% है

प्रभावी प्रतिशत 88%- 1% = 87% है| (पंजाबी ऐच्छिक को शामिल करने के लिए 1% कटौती)

केस 1, B.COM (ऑनर्स) और B.COM (प्रोग्राम) के लिए सर्वश्रेष्ठ चार का प्रतिशत 88% है|

91% है।

प्रभावी प्रतिशत 91% - 1% = 90% है| (गृह विज्ञान को शामिल करने के लिए 1% की कटौती)

केस 2: कुल अंक 90+92+88+85=355, प्रतिशत 88.75% है।

प्रभावी प्रतिशत 88.75% है|

केस 1, B.COM (ऑनर्स) और B.COM (प्रोग्राम) के लिए

सर्वश्रेष्ठ चार का प्रतिशत 90% है|

प्रवेश समिति

सहायता मंच

क्रम संख्या	नाम
1,	डॉ. नीलम बरेजा संयोजक
2.	डॉ. शानूजा बेरी
3.	डॉ. नितिन मल्होत्रा

4..	छात्र संघ

छात्र शिकायत समिति

क्रम संख्या	नाम
1.	डॉ. मीना चराँदा (संयोजक)
2.	डॉ. राखी चौहान सह संयोजक
3.	डॉ. मनीला

विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम

क्रम संख्या	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से अक्षम	आर्थिक रूप से कमजोर
1.	डॉ. वंदना रानी	डॉ पुनीता वर्मा	डॉ. अंजनी कुमार	डॉक्टर संगीता ढल
2 .	डॉ.अलका रानी	डॉ. दीपक यादव सह संयोजक		
3.		सुश्री सोनिया कंबोज		

शुल्क संरचना

KALINDI COLLEGE (University of Delhi)कालिंदी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय(									
FEE STRUCTURE (2020-21) 1st Year शुल्क संरचना (2020-21)प्रथम वर्ष									
Fee details शुल्क विवरण	B.A. / B.Com / B.A. (H) बी.ए/.बी . कॉम/. बी. ए . (विशेष)	B.Com (H)बी. कॉम (विशेष(	Geog. (H)भूगोल (विशेष(	Journ. (H)पत्रकारिता (विशेष(	B.Sc(H)- Maths/ Botony/ Zoology/ Chemistry/ Physics / Life Sc बी.एससी (विशेष(- गणित/वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/ रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान / जीवविज्ञान/	B.Sc (Phy.Sc(/ B.A (Prog)Com. Appl बी.एससी . (फिजिकल साइंस(/बी.ए . (प्रोग्राम(/ कंप्यूटर अनुप्रयोग	B.Sc (H)Comp . Science बी . एससी. (विशेष) कंप्यूटर विज्ञान	B.Voc (Web Designing(बी.वॉक .(वेब डिज़ाइनिंग	M.A. priviou s एम . ए . पूर्वार्द्ध (Previous Yr(
College Dues (A)महाविद्यालय ड्यूज (अ(									
Admission Fee प्रवेश शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tuition Fee अध्यापन शुल्क	180	180	180	180	180	180	180	180	216
Water & Electricity पानी और बिजली	300	300	300	300	300	300	300	300	50
House Exam. Fee गृह परीक्षा शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	60
Lib.& Reading Room पुस्तकालय और वाचन कक्ष	500	500	500	500	500	500	500	500	300
Identity Card पहचान पत्र	100	100	100	100	100	100	100	100	10
Magazine Fee	100	100	100	100	100	100	100	100	100

पत्रिका शुल्क									
Garden Fee उद्यान शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	40
Lab Fee प्रयोगशाला शुल्क	**-**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**-**
Total (A) = कुल (अ(	1385	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	781
University Dues विश्वविद्यालय देय राशि									
Univ. Enrolment वि .वि . नामांकन	200	200	200	200	200	200	200	200	150
Univ. Athletic Fee वि .वि . एथलेटिक शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Cultural Council संस्कृतिक परिषद्	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Univ. Dev. Fund वि .वि .विकास निधि	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Univ.Lib.Dev.Fund वि .वि . पुस्तकालय विकास निधि	60	60	60	60	60	60	60	60	200
Univ. Library Security Fee (Refundable)वि . वि .पु. सुरक्षा शुल्क (प्रतिदेय(	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
Univ. NSS Fund वि .वि .एन . एस .एस .शुल्क	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Univ. S.H.Fee वि .वि .एस . एच .शुल्क	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Univ. W.U.S.Fund वि . वि .डब्लू .यू . एस .निधि	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Univ. WUS Fee वि .वि. डब्लू .यू. एस .शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total (B) = कुल (ब(	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	2152
Student Fund (B)विद्यार्थी निधि (ब(									
Cyber Centre साइबर संटर	500	500	500	500	500	500	500	500	300
Power Backup पावर बैकअप	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Activities/Asso./ Subject Societies गतिविधि /संघ / विषय समिति	300	300	300	300	300	300	300	300	200
Sports Dev. Fund खेल विकास शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	100
Gymnasium Fee जिम्नेजियम शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	
Games Fee खेल शुल्क	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Student Union छात्र संघ	50	50	50	50	50	50	50	50	20
SF & CA एस . एफ .व सी .ए.	50	50	50	50	50	50	50	50	
Students Welfare छात्र कल्याण	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Student Aid Fund छात्र सहायता निधि	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Annual Day Fee वार्षिक दिवस निधि	100	100	100	100	100	100	100	100	100
S.H. Fee एस . एच. शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10
College Maintenance कॉलेज रख रखाव	500	500	500	500	500	500	500	500	400
Student Fund विद्यार्थी निधि	600	600	600	600	600	600	600	600	250
NCC एन .सी . सी.	40	40	40	40	40	40	40	40	0
NSS एन .एस . एस.	40	40	40	40	40	40	40	40	0
WDC डब्लू .डी . सी.	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Placement Cell नियोजन प्रकोष्ठ	50	50	50	50	50	50	50	50	0
Alumnai Association पूर्व छात्र संघ	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Total (C) = कुल (स.)	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	2120
Security सुरक्षा									
Security (Refundable)सुरक्षा प्रतिदेय	500	500	500	500	500	500	500	500	60
Caution Money जमानत राशि	-	50	50	50	50	50	50	50	0
Total (D) = कुल (द(	500	550	550	550	550	550	550	550	60
Medical & Development Fund (D)चिकित्सा और विकास निधि (द(									
Medical Fee	200	200	200	200	200	200	200	200	20

चिकित्सा शुल्क									
Development Fee विकास शुल्क	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	300
Institutional Fee संस्थागत शुल्क	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
Computer Use Fee कंप्यूटर प्रयोग शुल्क	-	500	500	2450	1500	1200	2450	2450	0
Lab Dev. Fee प्रयोगशाल विकास शुल्क	-		1500	-	2500	2500	2500	2500	0
Additional Charges अतिरिक्त शुल्क	-	1500	1500	10000	-	-	15000	1500	0
Research and Innovation अनुसन्धान व नवाचार	200	200	200	200	200	200	200	200	0
Total (E) = कुल (ई(	2900	4900	6400	15350	6900	6600	22850	9350	820
Grand Total (A+B+C+D+E) कुल योग (अ+ब+स+द+ई	**9197**	**11297**	**12797**	**21747**	**13297**	**12997**	**29247**	**15747**	**5933**

*** For PwD students Annual Fee is Rs. 105/- for UG and Rs. 15/- for PG courses.**

पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए स्नातक का वार्षिक शुल्क रु 105/- और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 15/-

शुल्क माफी/ छूट/ छात्रवृत्ति

संयोजक:डॉ. राखी चौहान

सह संयोजक: सुश्री कर्णिका गौड़

- जरूरतमंद छात्र बाद में महाविद्यालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति या पूर्ण शुल्क भुगतान के रूप में छूट दी जाती है। जो विद्यार्थी शिक्षा शुल्क में छूट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सितंबर अक्टूबर के महीने में कार्यालय में उपलब्ध आवश्यक फॉर्म भरना होगा। शुल्क छूट प्रदान करने के लिए चुने गए अभ्यर्थियों का निर्धारण शुल्क छूट समिति द्वारा किया जाता है। जो छात्र की आर्थिक स्थिति और महाविद्यालय के विविध गतिविधियों में उनके द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान 215 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार शिक्षा शुल्क में छूट दी गई थी और 66 छात्रों को शिक्षा शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति दी गई थी ।
- महाविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों अध्ययन करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को शिक्षा शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी। परंतु उन्हें प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता और पहचान पत्र के शुल्क का भुगतान करना होगा।
- महाविद्यालय योग्य छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्तियाँ(नीचे दी गई सूची) भी प्रदान करता है। छात्रों को हर वर्ष फरवरी- मार्च के महीने में कार्यालय में उपलब्ध आवश्यक छात्रवृत्ति फार्म भरने की आवश्यकता होती है। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, गैर सरकारी संगठनों आदि से प्राप्त छात्रवृत्ति भी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	छात्रवृत्ति का नाम	पुरस्कृत किए जाते हैं
1.	रजत जयंती छात्रवृत्ति	महाविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
2.	सुषमा गुप्ता छात्रवृत्ति	महाविद्यालय का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
3 .	औद्या गुप्ता मेमोरियल छात्रवृत्ति	द्वितीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
4.	इकबाल देवी मेमोरियल छात्रवृत्ति	प्रथम वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
5.	गणेश दास अग्निहोत्री छात्रवृत्ति	वाणिज्य का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
6.	सरदार बक्शीश सिंह लांबा मेमोरियल छात्रवृत्ति	कला विज्ञान (जी) का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
7.	विद्यावती अरोड़ा मेमोरियल छात्रवृत्ति	बी.ए. विशेष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
8..	डॉ. एम.पी. गुप्ता छात्रवृत्ति	एन.सी.सी. का सर्वश्रेष्ठ कैडेट
9.	श्री राजकुमार ग्रोवर छात्रवृत्ति	पत्रकारिता विशेष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी
10.	श्रीमती आशा रानी सेठी मेमोरियल छात्रवृत्ति	कंप्यूटर साइंस विद्यार्थी
11.	माता अमृता नंदामयी छात्रवृत्ति	प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व जरूरतमंद विद्यार्थी
12.	शकुंतला गुलाटी छात्रवृत्ति	55% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राजनीति विज्ञान के

		विद्यार्थी के लिए
13.	सुल्तान चंद मेमोरियल छात्रवृत्ति	कला वाणिज्य में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर
14.	डॉ. के. इंदिरा कृष्णा मेमोरियल छात्रवृत्ति	• अधिकतम अंक - कला विज्ञान,जीवन विज्ञान, तृतीय वर्ष भाग - 2 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक -कला विज्ञान, अप्लाइड साइंस, तृतीय वर्ष, भाग-2 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक - कला विज्ञान, जीव विज्ञान, भाग 1 (न्यूनतम 60%) • अधिकतम अंक - कला विज्ञान, द्वितीय वर्ष, अप्लाइड जीव विज्ञान, भाग -1 जीव विज्ञान (न्यूनतम 60%)
15.	उषा अग्रवाल तेजस्वी / तेजस्विनी छात्रवृत्ति	• कला वाणिज्य (पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष नया पाठ्यक्रम, अधिकतम अंक (70 से अधिक) दिल्ली में अंतरिम और बाह्य सभी प्रश्न पत्रों में समुच्चय रूप में • कला वाणिज्य (पाठ्यक्रम) द्वितीय वर्ष ,समान परीक्षा जैसा ऊपर दिया गया है
16.	उषा अहूजा छात्रवृत्ति	खेल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तर की उपलब्धियों के साथ
17.	श्री शेर सिंह मंगला छात्रवृत्ति	आर्ट स्ट्रीम में अधिकतम अंक (केवल आरक्षित वर्ग)
18.	डॉ. सुश्री उषा अग्रवाल छात्रवृत्ति	महाविद्यालय में कला वाणिज्य (विशेष) द्वितीय सत्र में (सभी पेपरों में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर) तृतीय सत्र में दिया जाएगा
19.	डॉ.सुश्री उषा अग्रवाल ट्रस्ट छात्रवृत्ति अक्षय निधि	महाविद्यालय में कला वाणिज्य (विशेष) चतुर्थ सत्र में (सभी पेपरों में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर)

20.	डॉ. सुश्री उषा अग्रवाल ट्रस्ट छात्रवृत्ति अक्षय निधि	• " कला वाणिज्य (पाठ्यक्रम) में अधिकतम अंक, तृतीय सत्र का परीक्षा परिणाम " • कला वाणिज्य (पाठ्यक्रम) में अधिकतम अंक चतुर्थ सत्र का परीक्षा परिणाम
21	डॉ. निर्मल कपिल छात्रवृत्ति	छात्र संघ का सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी
22.	पूर्व छात्र एसोसिएशन छात्रवृत्ति	• विज्ञान पाठ्यक्रम सभी विशेष पाठ्यक्रमों, भाग- 1 में दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर
23.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी (पर 55% से कम पर नहीं) • कला विज्ञान (विशेष) भौतिक, भाग - 1 • कला विज्ञान (विशेष) भौतिकी , भाग - 2
24.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	छात्र संघ छात्रवृत्ति, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए • कला विज्ञान भौतिक विज्ञान, भाग -1 • कला विज्ञान भौतिकी विज्ञान ,भाग-2 • एम. ए. हिंदी(पूर्वार्ध)
25.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	छात्र संघ छात्रवृत्ति अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए • कला विज्ञान विशेष गणित ,भाग - 1 • कला विज्ञान विशेष गणित, भाग - 2 • एम.ए. संस्कृत भाग - 1
26.	श्री सुल्तान चंद मेमोरियल छात्रवृत्ति अक्षय निधि	कला वाणिज्य (विशेष) द्वितीय वर्ष में अधिकतम अंक 70% से अधिक सभी विषयों में
27.	डी.एन. देवान छात्रवृत्ति	निर्धन छात्र (तीनों वर्षों में से कोई) संस्कृत विशेष

28.	छात्र संघ छात्रवृत्तियाँ	अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी (पर 55% से कम पर नहीं) • कला स्नातक अर्थशास्त्र (विशेष) भाग - 1 • कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी, भाग - 1 • कला स्नातक(विशेष) वाणिज्य , भाग - 2 • कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी ,भाग - 2
29.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	• कला स्नातक (विशेष) पत्रकारिता की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले छात्रों को • भाग - 1 • भाग - 2 •
30.	छात्र संघ छात्रवृत्ति	एम.ए. (पूर्वार्ध) राजनीति विज्ञानअधिकतम अंक (पर 55% से कम पर नहीं) प्राप्त करने वाले छात्र को
31.	स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति	महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्रों (तीनों धाराओं में)
32.	मालती छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक कला स्नातक (विशेष) हिंदी में (अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) प्राप्त करने पर 55% से अधिक
33.	डॉ. अनुला मौर्य छात्रवृत्ति	महाविद्यालय के मेधावी छात्र को शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी में
34.	रोहित मल्होत्रा छात्रवृत्ति	कला वाणिज्य (विशेष) प्रथम वर्ष के छात्र को दी जाती है जिसे वित्तीय मदद की सख्त जरूरत है। छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के साथ पूरा होने तक जारी रहेगी
35.	रोहित मल्होत्रा छात्रवृत्ति	निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर 1 2 3 में उच्चतम संचय अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी गई कला स्नातक (विशेष)अर्थशास्त्र

		कला स्नातक (विशेष) अंग्रेजी कला स्नातक (विशेष) पत्रकारिता कला वाणिज्य (विशेष) कला वाणिज्य (पाठ्यक्रम) कला विज्ञान (विशेष) कंप्यूटर विज्ञान कला विज्ञान (विशेष) भौतिक कला विज्ञान (विशेष) गणित मेरिट छात्रवृत्ति
36.	रोहित मल्होत्रा छात्रवृत्ति	सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी विशेष रूप से जरूरतमंद को ध्यान दें : उपरोक्त श्रेणी के छात्र की अनुपलब्धता के मामले में यह किसी भी श्रेणी पाठ्यक्रम के मेधावी जरूरतमंद छात्र को दी जाएगी।
37.	स्व.प्रो. बी.पी. मौर्य स्मृति छात्र वृत्ति	सभी तीनों धाराओं (मानविकी ,विज्ञान और वाणिज्य,) के आर्थिक रूप से कमजोर सर्वश्रेष्ठ छात्रों को
38.	श्रीमती प्रकाशवती नानचाहल छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक कला विज्ञान जीवन विज्ञान के वनस्पति विज्ञान भाग - 2की परीक्षा में
39.	श्रीमती लीला सहगल छात्रवृत्ति	अधिकतम अंक कला विज्ञान जीवन विज्ञान के वनस्पति विज्ञान भाग - 1 की परीक्षा में
40.	मंजू गंभीर स्मृति छात्रवृत्ति	अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ वाणिज्य के तृतीय वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र

परिणाम एक नजर में

विश्वविद्यालय के रैंकर

क्र .सं ..	विद्यार्थी का नाम	पाठ्यक्रम	अनुक्रमांक	वतर्मान सेमेस्टर	विश्वविद्यालय रैंकर
1.	प्राची आर्यल	बीए (ऑनर्स) पत्रकारिता	16033520076	पास आउट	प्रथम स्थान

उत्कृष्टता पुरस्कार

क्र . सं..	पुरस्कार	नाम	पाठ्यक्रम	वर्ष
1	नरगिस सुनील दत्त गर्ल ऑफ़ द ईयर (अधिकतम पुरस्कार संख्या हेतु)	रूपांशी शर्मा	बी.एस.सी. (गणित)	पास आउट
2	सभी दौर में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार (शिक्षाविदों हेतु)	रिया अरोड़ा	बी.एस.सी. (लाइफ साइंस)	तृतीय वर्ष
3	प्रिंसिपल पुरस्कार (सभी दौर के छात्र हेतु)	श्री मिश्रा	बी.ए. संस्कृत (ओनर्स)	तृतीय वर्ष
4	शिव पाल गोयल मेमोरियल पुरस्कार (अकादमिक उत्कृष्टता हेतु)	श्री मिश्रा	बी.ए. संस्कृत (ऑनर्स)	तृतीय वर्ष
5	श्रीमती राज कुमारी बेरी पुरस्कार (गरीब छात्र की मदद हेतु)	NA	NA	NA
6	आदर्श कुमारी जैन मेमोरियल प्राइज (वाद-विवाद हेतु)	दीक्षा नेगी	बी .ए.(ऑनर्स) पत्रकारिता	प्रथम वर्ष
7	प्रिंसिपल शिव दुआ मेमोरियल पुरस्कार (सामाजिक विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ छात्र हेतु)	प्राची मालाकार	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	पास आउट
8	आशा मेमोरियल पुरस्कार (स्वास्थ्य छात्र हेतु)	मेघा	बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	तृतीय वर्ष

9	प्रकाशवती कपूर मेमोरियल पुरस्कार (गर्ल ऑफ द ईयर)	पलक	बी.कॉम.	तृतीय वर्ष

विभिन्न विषयों में ओ ग्रेड अर्जित करने वाले छात्रों की संख्या

पाठ्यक्रम	**विधार्थियों को संख्या**
बी. ए. (प्रोग्राम)	93
वनस्पति विज्ञान	11
रसायन विज्ञान	55
वाणिज्य	56
कंप्यूटर विज्ञान	47
अर्थशास्त्र	08
अंग्रेजी	01
भूगोल	08
हिन्दी	02
गणित	185
भौतिकी	99
राजनीति विज्ञान	09
संस्कृत	44
प्राणीशास्त्र	06

महाविद्यालय के नियम व कानून

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से महाविद्यालयी परिसर और परिसर के बाहर अनुशासन और सभी आचरण की अपेक्षा की जाती है |इसके लिए कुछ निम्नलिखित प्रावधान हैं -

1. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर या महाविद्यालयी परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में संलिप्त पाया जाता है तो उसे महाविद्यालय प्राचार्या के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा | अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुशासन संबंधी नियमों **XV** (बी) और **XV** (सी) के आधार पर विद्यार्थी पर कई प्रकार की कार्यवाहियाँ की जा सकती है |जैसे-चेतावनी/जुर्माना / महाविद्यालय पुस्तकालय निष्कासन और महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है |
2. महाविद्यालय प्राचार्या की अनुमति के बिना महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई संस्था ,सोसायटी या समूह का गठन नहीं किया जाएगा और न ही महाविद्यालय की किसी कार्यशाला में बाहर से किसी वक्ता को आमंत्रित किया जाएगा |
3. विद्यार्थी अपनी साईकिल ,मोटर साईकिल ,स्कूटर/स्कूटी ,कार इत्यादि को निर्दिष्ट पार्किन क्षेत्र में ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पर ताला लगाकर खड़ी करें |महाविद्यालय में पार्किंग क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर कोई भी साईकिल ,मोटर साईकिल ,स्कूटर/स्कूटी ,कार इत्यादि खड़ी नहीं की जाएगी |
4. विद्यार्थी प्राचार्या की लिखित अनुमति के बिना महाविद्यालय से बाहर के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या पुलिस को महाविद्यालय के भीतर आमंत्रित नहीं करेगा |
5. महाविद्यालय में पंजीकरण के समय सभी विद्यार्थियों को कुलपति ,कालिंदी महाविद्यालय और दिल्ली विश्वद्यालय की अन्य समितियों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक नियमों के प्रति अपनी लिखित सहमति अपने हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी|
6. दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध किसी भी स्थान ,महाविद्यालय परिसर और सार्वजनिक परिवहन में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है |यहाँ तक कि रैगिंग के लिए उकसाना भी रैगिंग ही है और रैगिंग के लिए किया गया किसी भी प्रकार का वैयक्तिक और सामूहिक प्रयास अपराध के दायरे में आता है |

ऐसे विद्यार्थियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश **XV** **(सी)** के तहत कार्यवाही की जाएगी |यदि कोई विद्यार्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त कर चुका है और वह रैगिंग समिति द्वारा रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो अध्यादेश **XV** **(सी)** के नियमानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय उस विद्यार्थी की उपाधि वापस ले सकता है |विद्यार्थी पंजीकरण के समय यह घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र महाविद्यालय में जमा करवाएँगे कि भविष्य में यदि वह किसी भी प्रकार की रैगिंग संबंधी गतिविधियों / घटनाओं में संलिप्त पाया गया तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही का ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा |

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर के भीतर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है | दिल्ली विश्वविद्यालय पुलिस और विश्व फेफड़ा फाउंडेशन-दक्षिण एशिया (वर्ल्ड लंग फाउंडेशन-साउथ एशिया) के साथ मिलकर तम्बाकू मुक्त पर्यावरण बनाने में सहयोग कर रहा है |

इसी दिशा में एक क़दम आगे बढ़ाते हुए कालिंदी महाविद्यालय में महाविद्यालय में पंजीकरण के समय सभी विद्यार्थियों को कुलपति ,काल कालिंदी महाविद्यालय और दिल्ली विशाविद्यालय की अन्य समितियों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक नियमों के प्रति अपनी लिखित सहमति अपने हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी|

कोरोना वायरस महामारी से सुरक्षा के उपाय

1. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर समय करना अनिवार्य है |
2. अगली सूचना तक मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा |
3. स्वच्छता को प्रेत्साहन देने के लिए हाथों को बार-बार धोना होगा |

अध्यादेश

कॉलेज के छात्र को कॉलेज के अंदर और बाहर अनुशासन और अच्छे आचरण को बनाए रखना आवश्यक है | अनुशासन नियमों का उल्लंघन और रैगिंग ,यौन उत्पीड़न आदि कार्य विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यादेश के अनुसार दंडनीय है:

1. अध्यादेश VII -उपस्थिति के नियम

2. अध्यादेश XV -(बी) -अनुशासन
3. अध्यादेश XV -(सी) -एंटी -रैगिंग
4. अध्यादेश XV -(बी) -यौन उत्पीड़न

रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसमें लिप्त पाए जाने पर कॉलेज से निलंबन किया जा सकता है | किसी भी प्रकार के रैगिंग की घटना की सूचना छात्रसंघ ,संकाय सलाहकार या प्राचार्या को दी जा सकती है | माननीय सर्वोच्च न्यालय ने ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका कॉलेज पालन करेगा |ये अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइड पर उपलब्ध है और छात्रों को उन्हें ध्यान से पढ़ना आवश्यक है |

पालन करने के लिए कुछ नियम -अनुशासन और विनियमों के साथ स्वतंत्रता

विद्यार्थी क्या करें	विद्यार्थी क्या न करें
✓महाविद्यालय के नियमों का पालन| ✓प्रतिदिन महाविद्यालय में पहचान-पत्र लेकर आएँ | ✓बिना अनुमति शिक्षक-कक्ष में न जाएँ | ✓बिना किसी कारण बरामदों में न घूमें और ओपनी कक्षा में ही रहें | ✓नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हों | ✓सभी सांस्कृतिक गतिविधियों और विभागीय समारोहों में उपस्थित होना अनिवार्य है| ✓महाविद्यालय की सांस्कृतिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी | ✓राष्ट्रीय कैडर कोर (एन.सी.सी).राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस).और खेलों में	X कक्षाएँ ,व्याख्यान ,असाइनमेंट (समानुदेशन कार्य (प्रोजेक्टर)परियोजन कार्य (और प्रैक्टिकल)प्रायोगिक अभ्यास(न छोड़े | X अपनी कक्षाओं में देरी से न पहुँचें| X सभी विद्यार्थियों का नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है | X कक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों / समारोहों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें | X पुस्तकालय की पुस्तकों के पृष्ठों को न तो रेखांकित करें ,न फाड़े और न उन्हें नष्ट करें | X कक्षा और समारोहों में ध्यान भंग न करें| X बरामदों में ज़ोर-शोर से बातें न करें| X किसी भी विवादास्पद फ़ोटो ,एस.एम.एस /. एम.एम.एस.या अन्य सामग्री का

नियमित रूप से भागीदारी|	वितरण/प्रसरण या प्रयोग न करें।
✓प्रतिदिन सूचना-पट्ट पढ़े।	X महाविद्यालय की दीवारों /महाविद्यालय परिसर /महाविद्यालय भवन को नुकसान न पहुँचाएँ|
✓खाली समय में पुस्तकालय का प्रयोग करें|	X कक्षा में रखे फर्नीचर को नुकसान न पहुँचाएँ।
✓अभद्र भाषा ,व्यवहार और व्यर्थ की बहस न करें।	X डेस्क पर पैर न रखें और न उन पर चढ़कर कूदें|
✓कठिन परिस्थितियों या परेशानी के समय महाविद्यालय के सदस्यों से बात करें|	X सीढ़ियों पर न बैठें और धक्का-मुक्की न करें।
✓महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ|	X कूड़ा न फैलाएँ|
✓कक्षा समाप्त होने पर कक्ष के पंखे व लाइट बंद कर दें।	X खाद्य और पेय पदार्थ कक्षा में न लाएँ|
✓महाविद्यालय की कक्षाएँ समाप्त हो जाने पर महाविद्यालय परिसर में न रहें।	X गंभीर और फ़ैलने वाली बीमारी से ग्रस्त होने पर महाविद्यालय न आएँ।
	X रैगिंग में लिप्त न हो।
	X टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार न करें।

अस्वीकरण

यहाँ दी गई जानकारी केवल कालिंदी कॉलेज द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए, आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन या विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियमों, अध्यादेशों और विधियों में निहित जानकारी अंतिम होगी। प्रॉस्पेक्टस में निहित डेटा केवल सांकेतिक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

महाविद्यालय की समितियां

समिति का नाम	संयोजक
आंतरिक मूल्यांकन समिति	I वर्तमान शिक्षक- प्रभारी ii पूर्व शिक्षक- प्रभारी में iii प्रत्येक विभाग के सबसे वरिष्ठ सदस्य
शैक्षणिक समित	डॉ. सीमा सहदेव
टाइम टेबल कमेटी	डॉ. अंजलि गुप्ता, वाणिज्य और कला पाठ्यक्रम डॉ. सीमा गुप्ता, विज्ञान डॉ.पूनम त्यागी, अनुभाग
पुस्तकालय समिति	डॉ. संगीता ढल
प्रवेश समिति	डॉ. सुदेश भारद्वाज - संयोजक डॉ. कल्पना कुमारी डॉ. दिव्या वर्मा डॉ. रंजना रॉय मिश्रा डॉ. अरुण जीत सिंह
प्रोस्पेक्टस कमेटी	डॉ. शानूजा बेरी
उपस्थिति समिति	डॉ. पुनम त्यागी
शुल्क रियायत और छात्रवृत्ति / छात्र कल्याण समिति	डॉ. राखी चौहान
कैंटीन समिति	डॉ. पुनम सचदेवा
प्राक्टोरियल बोर्ड / अनुशासन समिति	डॉ. पुनम सचदेवा

उद्यान समिति	डॉ. अरुणजीत सिंह
कॉलेज भविष्य निधि समिति	डॉ. रुचि त्यागी
खेल समिति	सुश्री नीलम बड़ेजा
एन एस एस	डॉ. अलका चतुर्वेदी, एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी
गांधी स्टडी सर्कल कॉलेज	डॉ. संगीता ढल
पत्रिका (प्रवाह)	सुश्री मोनिका जुत्शी
महिला विकास केंद्र / परामर्श समिति	डॉ. अनीता टैगोर
भिति चित्र पत्रिका	डॉ. चैती दास
एन सी सी	डॉ. आरती सिंह
वार्षिक अकादमिक जर्नल	डॉ. अंजलि बंसल
प्लेसमेंट सेल / कैरियर परामर्श समिति	डॉ. इंदु चौधरी
Add-On Courses	डॉ. निधि कपूर
स्टाफ सलाहकार- छात्र संघ और सांस्कृतिक क्लब	डॉ. मीना चारंदा
सांस्कृतिक समिति- लहरें	डॉ. राखी चौहान
ओरिएंटेशन कमेटी	डॉ. शिल्पिका बाली मेहता
कार्यभार समिति	डॉ. मीना चारंदा
आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)	डॉ. पुष्पा बिंदल, पीठासीन अधिकारी
एलुमनी क्लब कमेटी	डॉ. सुधा गुलाटी
समन्वयक, साइबर सेंटर	डॉ. वंदना गुप्ता
लैब उपकरण समिति	डॉ. रचना कुमार
एंटी टोबैको कमेटी	डॉ. पूनम त्यागी
स्वच्छता समिति	डॉ. कंचन बत्रा, संयोजक डॉ. मीना चारंदा डॉ. शानूजा बेरी सुश्री कर्णिका गौर श्री अमित गुप्ता

महाविद्यालय प्रशासन

कार्य वाहक प्राचार्या	डॉ .अंजुला बंसल
खजांची	डॉ .निधि कपूर
संयोजक, रैगिंग विरोधी समिति	डॉ .सुधा गुलाटी
प्रशासनिक अधिकारी	श्री अमित गुप्ता
अनुभाग अधिकारी (लेखा)	श्री अतिम गुप्ता
लेखाकार	श्री विकास शर्मा
अपील प्राधिकारी	प्राचार्या डॉ .अंजुला बंसल
पी.आई.ओ.	सुश्री कार्निका गौर
ए.पी.आई.ओ.	भावना मुंजाल, कार्यवाहक एसपीए
एन.सी.सी .अधिकारी	डॉ .आरती सिंह
एन.एस.एस .कार्यक्रम अधिकारी	डॉ .अल्का चतुर्वेदी
एससी/एसटी कानून अधिकारी	डॉ .मीना चरांदा
ओबीसी कानून अधिकारी	डॉ .राखी चौहान
ईडब्ल्यूएस कानून अधिकारी	डॉ .रंजना रॉय
शैक्षिक ब्लॉक (देखभाल)	श्री हेमंत नंदा
विज्ञान ब्लॉक प्रभारी	डॉ .रचना कुमार
विज्ञान ब्लॉक (देखभाल)	श्री हेमंत नंदा
शिक्षण अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक-प्रभारी	डॉ .चैती दास
शिक्षण अनुसंधान और नवाचार ब्लॉक-(देखभाल)	श्री एन.के .भारद्वाज
खेल उपयोगिता केन्द्र -प्रभारी	डॉ .सुनीता शर्मा
खेल उपयोगिता केन्द्र (देखभाल)	श्री एन.के .भारद्वाज

छात्रों की सुविधा केन्द्र -प्रभारी	डॉ .पंकज कुमार
छात्रों की सुविधा केन्द्र (देखभाल)	हेमंत नन्दा
पुस्तकालय ब्लॉक -प्रभारी	सुश्री कर्निका गौर
पुस्तकालय ब्लॉक (देखभाल)	श्री एन.के .भारद्वाज

विवरणिका समिति

संरक्षक	डॉ. अंजुला बंसल
संयोजक	डॉ. शानुजा बेरी
सह-संयोजक	डॉ .अल्का चतुर्वेदी
अंग्रेजी पठन के लिए	डॉ .मोनिका जुत्शी
हिन्दी पठन के लिए	डॉ .मंजू शर्मा
वाणिज्य पाठ्यक्रमों के लिए	डॉ .रजनी
विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए	डॉ .रितु बाला
प्रवेश समिति	वनस्पति विज्ञान विभाग
शैक्षणिक समिति	डॉ .सीमा सहदेव
छाया चित्र	पत्रकारिता विभाग

घोषणा

इस विवरणिका की विषयवस्तु की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती गई है। यहां दी गई सूचना का संबंध केवल कालिंदी कॉलेज के पाठ्यक्रमों से है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगत नियमों, अध्यादेशों और उप-नियमों में दी गई सूचना अंतिम होगी। विवरणिका में निहित डाटा केवल सांकेतिक है और उसका प्रयोग कानूनी प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

Ceremony & Freshers'

FEDERAL BANK
CSR Initiative by

(UNIVERSITY OF
presents
'20: The Annual
POWERED BY
Shree
Pati Tripathi
M.L.A., De
slative Assembly

KALINDI COLLEGE
NAAC ACCREDITED GRADE 'A'
(UNIVERSITY OF DELHI)
presents
'20: The Annual Cultural
POWERED BY FRESHLINERS ENTERTAINMENT PVT. LTD.
Wings to fly'
Shree Akhilesh Pati Tripathi
M.L.A., Delhi Legislative

Kalindi College
Department of Computer Science
National Conference
Emerging Trends in
Information Technology

Apeejay Institute of Mass Communication (AIMC)
Kalindi College (University of Delhi)
Organising a Two Days Workshop

KALINDI COLLEGE
(UNIVERSITY OF DELHI)
NAAC ACCREDITED 'A' GRADE COLLEGE
Chief Guest
Principal
Dr. (MS.) ANJULA BANSAL
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
2020/2/17 13:25

REC
Ankita Patel and 187 more
10:44 AM
You
Dr. Supriya Sachdeva
Anjula Bansal
Jitendra Kumar
Rini Pundir
HP Kain
Anuradha Nirala
Tanu Singh
Garima Prakash
Sonu Kumar

KALINDI COLLEGE

(UNIVERSITY OF DELHI)
East Patel Nagar, New Delhi-110008

Phone: 011-25787604, Fax : 011-25782505
Email: kalindisampark.du@gmail.com
Website: http://www.kalindicollege.in/